मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल–462016

भोपाल, दिनांक .. 23 जुलाई 2004

अंतिम नियम

क्रमांक–1999.–वि.नि.आ.–04–विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 16 के अनुसरण में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में वितरण अनुज्ञप्तिधारी(समझे जाने वाले अनुज्ञप्तिधारी को मिलाकर) के प्रदाय के क्षेत्र में विद्युत के वितरण का कारोबार चलाने हेतु ''वितरण अनुज्ञप्ति की शर्तें'' विनियम 2004 बनाया जाता है ।

''वितरण अनुज्ञप्ति(समझे गये अनुज्ञप्तिधारी को मिलाकर) की शर्तें '' 2004

भाग : एक – परिभाषा

1. संक्षिप्त नाम :–

1. इस दस्तावेज का नाम वितरण अनुज्ञप्तिधारी(समझे गये अनुज्ञप्तिधारी को मिलाकर) जो कि विद्युत वितरण के कारोबार में प्रयुक्त हैं, के लिए शर्तें हैं ।

2. परिभाषाएं :–

2.1 उन शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जो विद्युत अधिनियम, 2003(क्रमांक 36 सन् 2003) (जो इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) में न्यस्त हैं, का इस दस्तावेज में वहीं अर्थ होगा।

2.2 उन शब्दों और अभिव्यक्तियों का जो विद्युत अधिनियम 2003 में परिभाषित नहीं है, का वही अर्थ होगा, जो उन्हें मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2000(क्रमांक 4 सन् 2001) (जो इसमें इसके पश्चात् मध्यप्रदेश उपाधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) में उनके लिए न्यस्त है।

2.3 वितरण अनुज्ञप्ति की इस शर्तो में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, का वह अर्थ होगा जो नीचे दिए हैं, जिससे वे केन्द्रीय अधिनियम या मध्यप्रदेश अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल नहीं होंगे।

''वित्तीय विवरण'' से अभिप्रेत है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुज्ञप्त कारोबार के लिए लेखा विवरण जिसमें लाभ–हानि लेखा, तुलन पत्र और संसाधनों का विवरण तथा निधियों का आवेदन उसकी टीप के साथ और ऐसे अन्य ब्यौरे और विवरण समाविष्ट होंगे जैसा कि समय–समय पर आयोग द्वारा विहित किया जाए। ऐसे लेखा कथन ऐसे समय से जैसा कि आयोग द्वारा निदेशित किया जाए, ऊपर उल्लिखित रीति में तैयार किए जाएंगे। यदि इस ''अनुज्ञप्ति की शर्ते के पैरा 5.5 के अधीन किसी अन्य कारोबार में संलग्न रहना अनुज्ञात किया जाता है तो लेखा विवरण में किसी राजस्व, लागत, आस्तियों, दायित्व आरक्षित धन या उपबंध की राशि दर्शित रहेगी जो या तो :–

(एके) किसी अनुज्ञप्त कारोबार से किसी अन्य कारोबार पर प्रभार हो, उस प्रभार के आधार के विवरण के साथ प्रभारित किया गया हो या,

(बी) अनुपात या आबंटन के आधार पर एक विवरण के साथ अनुज्ञप्त कारोबार और अनुज्ञप्तिधारी के किसी अन्य कारोबार के बीच अनुपात या आबंटन द्वारा अवधारित किया गया हो

"बिल रकम" उपभोक्ता को दिये गये बिल का कुल राजस्व जिसमें विद्युत शुल्क, उपकर, प्रकीर्ण राजस्व और सरचार्ज को अपवर्णित किया गया हो।

"वार्षिक लेखे" से अभिप्रेत है, कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार और/या ऐसी अन्य रीति में तैयार किया गया अनुज्ञप्तिधारी का लेखा जैसा कि केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के उपबंधों के संबंध में आयोग द्वारा निदेशित किया जाए।

"प्रदाय का क्षेत्र" अनुज्ञप्ति की शर्ते की अनुसूची एक में निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र जिसके भीतर इसमे अधिकथित शर्तों द्वारा प्राधिकृत कोई गतिविधि अनुज्ञात की जाती है।

"संपरीक्षक" से अभिप्रेत है कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का संख्याक) की धारा 224 से 234 क या धारा 619 की अपेक्षाओं के अनुसार पदधारित करने वाला अनुज्ञप्तिधारी का संपरीक्षक।

"प्राधिकृत" से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति, कारोबार या गतिविधि के संबंध में केन्द्रीय अधिनियम की धारा 14 के अधीन प्रदान की गई या केन्द्रीय अधिनियम की धारा 14 के पांचवे परन्तुक के अधीन प्रदत्त, समझी गई या केन्द्रीय अधिनियम की धारा 13 के अधीन प्रदान की गई छूट के अधीन अनुज्ञप्ति द्वारा प्राधिकृत ।

"केन्द्रीय अधिनियम" से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम,2003 (2003 का क्रमांक 36)

"केन्द्रीय आयोग" से अभिप्रेत है विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 का क्रमांक 14) और केन्द्रीय अधिनियम की धारा 76 के अधीन यथा परिभाषित गठित केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग।

"आयोग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ।

"उपभोक्ता" से अभिप्रेत (ऐसा व्यक्ति – जिसको इस अधिनियम या तत्समय प्रचलित (प्रवृत्त) किसी अन्य विधि के अधीन पब्लिक को विद्युत प्रदाय के कारोबार में लगे हुए लायसेन्सी (अनुज्ञप्तिधारी) या सरकार द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा

उसके स्वयं के उपभोग के लिये विद्युत प्रदाय की जाती है और इसमें ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जिसमें लायसेन्सी सरकार या यथास्थिति, अन्य व्यक्ति के कारोबार में जिसके परिसरों(गृह, भूमि) को तत्समय विद्युत प्राप्ति के लिये जोड़ा गया है ;

''वितरण'' से अभिप्रेत है किसी वितरण पद्धति के साधनों द्वारा विद्युत का पारेषण।

''वितरण कारोबार'' से अभिप्रेत है प्रदाय के क्षेत्र में विद्युत के वितरण में अनुज्ञप्ति का प्राधिकृत कारोबार ।

''वितरण कोड'' से अभिप्रेत है यहाँ के खण्ड 20 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तैयार किया गया कोड और आयोग द्वारा अनुमोदित किये गये और यहाँ के पैरा 20 के अनुसार समय–समय पर संशोधित अनुपूरित या प्रतिस्थापित कोड।

''वितरण प्रणाली'' से अभिप्रेत तारों की प्रणाली से है और जो पारेषण लाइनों के डिलेवरी प्वाइन्ट के बीच या उत्पादन स्टेशन कनेक्शन और उपभोक्ताओं के अधिष्ठान के कनेक्शन के प्वाइन्ट के बीच सुकर बनाने के लिए सहयुक्त है;

''अपरिहार्य घटना'' से अभिप्रेत है युद्ध विद्रोह, सिविल उपद्रव, बल्वा आतंकवादी हमला, बाढ़, आग, हड़ताल, तालाबंदी, तूफान, आंधी, बिजली, भूकम्प या ईश्वर का ऐसा कार्य जिसमें विद्युत सुरक्षा से संबंधित सुसंगत विधियों या विनियमों का अतिलंघन अंतर्निहित होता हो, के कारण या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रदाय बद होता है।

''वितरण पद्धति संचालन के मानक'' से अभिप्रेत है खण्ड 21 के अनुसरण में आयोग द्वारा अनुमोदित उसके वितरण पद्धति के अनुज्ञप्तिधारी के प्रचालन से संबंधित मानक,

''जनरेटिंग सेट'' से अभिप्रेत है विद्युत के उत्पादन के लिए कोई संयंत्र या साधित्र और जहाँ समुचित हो वहाँ इसमें एक या अधिक जनरेटिंग इकाई को समाविष्ट करते हुए कोई जनरेटिंग स्टेशन सम्मिलित है।

''वितरण पद्धति योजना और सुरक्षा मानक'' से अभिप्रेत है, खण्ड 21 के अनुसरण में आयोग द्वारा यथा अनुमोदित उसकी वितरण पद्धति की अनुज्ञप्तिधारी की सिस्टम प्लानिंग और सुरक्षा की पर्याप्तता से संबंधित मानक,

''विद्यमान वितरण पद्धति प्लानिंग और सुरक्षा मानक'' से अभिप्रेत है इस दस्तावेज की तारीख को वितरण पद्धति के लिए पद्धति प्लानिंग और सुरक्षा के लिए अनुज्ञप्तिधारी के मानक।

''विद्यमान वितरण पद्धति संचालन मानक'' से अभिप्रेत है, वितरण पद्धति के प्रचालन के लिए अनुज्ञप्तिधारी के मानक जो इस दस्तावेज की तारीख को है।

''जनरेटर इंटर कनेक्टिंग सुविधा' से अभिप्रेत है जनरेटिंग सेट द्वारा पारेषण पद्धति या वितरण पद्धति तक पहुँच बनाने के लिए उपयोग में लाई गई विद्युत लाइन, ट्रांसफार्मर, बस बार, स्विच गेयर संयत्र या संधित्र

''ग्रिड कोड'' से अभिप्रेत है आयोग द्वारा धारा 86 की उपधारा( ) के खण्ड(ए) के अधीन अनुमोदित ग्रिड कोड;

''धारक कम्पनी(होल्डिंग कम्पनी) :– अनुज्ञप्ति की इन शर्तो के प्रयोजन के लिए कोई कम्पनी किसी अन्य कम्पनी की धारक कम्पनी के रूप में समझी जाएगी यदि कम्पनी, अन्य की समान शेयर पूंजी की न्यूनतम मूल्य के आधे से अधिक धारितकर्ता हो ।

'' अतिरिक्त ग्रिड कोड'' से अभिप्रेत है पारेषण अनुज्ञप्ति की ार्तो के जारी करने की तारीख को पारेषण पद्धति के चालन के लिए यथास्थिति एम.पी.एस.ई.बी. या एम.पी.पी.टी.सी.एल. द्वारा अनुसरित की जाने वाली विद्यमान प्रथा और प्रक्रिया,

''अंतरिम वितरण कोड'' से अभिप्रेत है वितरण अनुज्ञप्ति की शर्तो को जारी करने की तारीख को वितरण पद्धति के संचालन के लिये वितरण अनुज्ञप्तिधारी(समझे गये अनुज्ञप्तिधारी को मिलाकर) द्वारा अनुसरित की जाने वाली विद्यमान पद्धति और प्रक्रिया,

''अनुज्ञप्ति'' से अभिप्रेत है केन्द्रीय अधिनियम की धारा 14 के अधीन या अनुज्ञप्ति की शर्तो के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जिसके अधीन अनुज्ञप्तिधारी या निर्णीत अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्त कारोबार संचालित करने के लिए प्राधिकृत है।

'अनुज्ञप्तिधारी'' से अभिप्रेत है ऐसी सत्ता जिसे केन्द्रीय अधिनियम की धारा 14 के प्रथम या पांचवे परन्तुक के अधीन एक अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो या समझा गया अनुज्ञप्तिधारी हो।

''अनुज्ञप्त कारोबार'' से अभिप्रेत है अनुज्ञप्ति के अधीन यथा प्राधिकृत प्रदाय के क्षेत्र में विद्युत के वितरण का कारोबार,।

''प्रमुख घटना'' से अभिप्रेत है ऐसी घटना जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में विद्युत के वितरण से जुड़ी हो जिसका परिणाम सेवा के विशिष्ट व्यवधान(किसी

ग्रामीण क्षेत्र में 7 दिन से अधिक और नगरीय क्षेत्र में 3 दिनों से अधिक के उपकरणों को अधिक नुकसान या मानव जीवन को हानि या उल्लेखनीय चोट के रूप में हो।

''म.प्र. अधिनियम'' से अभिप्रेत है म.प्र. विद्युत सुधार अधिनियम 2000 (सन् 2001 क्रमांक 4)

''एम.पी.....के.व्ही.व्ही.सी एल. या कम्पनी'' से अभिप्रेत है कम्पनी नियम 1956 के अधीन निगमित और .....में उसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय रखने वाली म.प्र. .. .. क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी।

''एम.पी.पी.टी.सी.एल.'' से अभिप्रेत है कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन निगमित और जबलपुर में उसका कार्यालय रखने वाली म.प्र. पावर पारेषण कम्पनी लिमिटेड,

''एम.पी.एस.ई.बी.' से अभिप्रेत है म.प्र. राज्य के लिए विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 की धारा 5 के अधीन गठित और शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर में मुख्यालय रखने वाला (जो इसमें इसके पश्चात् म.प्र.रा.वि.मं. निर्दिष्ट है) म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल।

''प्रचालन नियंत्रण'' से अभिप्रेत है प्रचालन विनिश्चय को प्राधिकृत करने का अधिपत्य रखना जैसे कि ईकाइयों, सर्विस लाइनों और उपस्करों की कमिशनिंग और उपयोगीकरण;

''अन्य कारोबार'' से अभिप्रेत है अनुज्ञात कारोबार से भिन्न;

''पालन के संपूर्ण मानक'' से अभिप्रेत है म.प्र. अधिनियम की धारा 34 और केन्द्रीय अधिनियम की धारा 57 के अनुसरण में आयोग द्वारा जैसा कि अवधारित किया जाए।

''व्यक्ति'' में सम्मिलित है कोई कंपनी, या निगमित निकाय या एसोसियेशन या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं हो या कृत्रिम विधिक व्यक्ति,

''विनियम'' से अभिप्रेत है, केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों या मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम की धारा 55 के अधीन आयोग द्वारा बनाए गए विनियम;

''पालन के मानक'' से अभिप्रेत है विद्युत के वितरण से संबंधित पालन के मानक जिन्हें केन्द्रीय अधिनियम की धारा 57 व 86 (1) (ई) एवं मध्यप्रदेश अधिनियम की धारा 34 के अधीन आयोग द्वारा अवधारित किया जाए।

''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है, म.प्र. राज्य की सरकार,

''सहायिकी'' का वही उपर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4 में दिया गया है,

''प्रदाय'' विद्युत के संबंध में ''प्रदाय'' का अर्थ है किसी अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता को विद्युत का विक्रय,

''वितरण अनुज्ञप्ति की शर्तें '' से अभिप्रेत है, वितरण अनुज्ञप्ति की शर्तें अंतर्विष्ट करने वाला दस्तावेज

''व्यापारी'' से अभिप्रेत है केन्द्रीय अधिनियम की धारा 14 के अधीन प्रदान की गई व्यापार अनुज्ञप्ति को धारण करने वाली सत्ता,

''व्यापार'' से अभिप्रेत है उसके विक्रय के लिए विद्युत का क्रय और अभित्य कि ''व्यापार'' का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा,

''व्यापारिक कारोबार'' से अभिप्रेत है प्रदाय के क्षेत्र में व्यापारिक अनुज्ञप्ति का प्राधिकृत कारोबार,।

''अंतरण'' में विक्रय, विनियम, मेह, पट्टा, ऋण, प्रतिभूतिमरण, बंधक, भार, गिरवी या कोई अन्य ऋणभार या भौतिक आधिपत्य के साथ–किसी ऋणभार की सहायता करना या उसे त्यागना या कोई अन्य व्ययन या संत्यबहार सम्मिलित होगा,

''पारेषण'' से अभिप्रेत है पारेषण पद्धति के उपायों द्वारा विद्युत का वहन,

''पारेषण कारोबार'' से अभिप्रेत है पारेषण में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्व की किसी पद्धति और/या प्रचालित कोई प्राधिकृत कारोबार चाहे स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए

''पारेषण अनुज्ञप्तिधारी'' से अभिप्रेत है पारेषण कारोबार में संलग्न कोई प्राधिकृत व्यक्ति.

''पारेषण प्रणाली'' से अभिप्रेत है 66 किलावोल्ट या उससे अधिक की वोल्टेज डिजाइन की विद्युत लाइन जो कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्व या नियंत्रण में हो एवं दो स्वीच यार्ड के बीच विद्युत के वहन के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई या जनरेटिंग सेट के स्वीच यार्ड से किसी उपकेन्द्र या उपकेन्द्रों के बीच या किसी बाह्य अंतः संयोजन को और उसका वितरण प्रणाली के साथ अंतः संयोजन तक समस्त प्रणाली। उपस्कर और विद्युत के पारेषण के संबंध में उपयोग में लाए गए संयंत्र, उपस्कर और मीटर सम्मिलित है किन्तु किसी वितरण प्रणाली का कोई भाग सम्मिलित नहीं होगा,

"विधि विरूद्ध उपयोगकर्ता" से ऐसा व्यक्ति निर्दिष्ट है जिसने विधिपूर्ण संयोजन प्राप्त न किया हो और बिना प्राधिकार विद्युत प्रदाय कर रहा हो, जिसमें चोरी और अप्राधिकृत उपयोग भी सम्मिलित है,

"प्रणाली का उपयोग" से अभिप्रेत है खण्ड 22.4 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विद्युत के वहन के लिए वितरण प्रणाली,

2.4 वितरण अनुज्ञप्ति के इन ार्तो के खण्डों, भागों और अनुसूचियों के संदर्भ में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, वितरण अनुज्ञप्ति के शर्तो के खण्डों, भागों के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।

3. अनुज्ञप्ति की अवधि :–

3.1 इसमें यथा विनिर्दिष्ट शर्ते केन्द्रीय अधिनियम, मध्यप्रदेश अधिनियम या आयोग द्वारा विनिर्दिष्ठ विनियम या इसमें विनिर्दिष्ट शर्तो के उपबंधों के अनुसार आयोग द्वारा किए गए उपांतरणों या संशोधनों के अध्यधीन होंगी ।

3.2 ये शर्ते जारी होने की तारीख से प्रवृत्त होगीं । जब तक कि इन शर्तो के उपबंधनों या केन्द्रीय अधिनियम या मध्यप्रदेश अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आयोग द्वारा पूर्व में विखंडित न कर दी जाए, उस तारीख से 25 वर्षो के लिए प्रवृत्त रहेंगी परन्तु अवधि का अवसान होने पर आयोग अपने विवेकाधिकार से और जनहित में विचार करते हुए जनता के किसी सदस्य को सुनवाई का अवसर देते हुए उसकी आपत्ति फाइल कर देने के पश्चात् ऐसी और कालावधि के लिए जैसा कि आयोग उचित समझे, उन्हीं शर्तो को जारी रख सकेगा ।

भाग : दो– सामान्य शर्ते

4. निर्देश :

4.1 अनुज्ञप्तिधारी, समय समय पर आयोग द्वारा जारी किए गए विनियमों, आदेशों और निदेशों का पालन करेगा और इस वितरण अनुज्ञप्ति के शर्तो के अनुसार भी कृत्य करेगा सिवाय उसके जहाँ अनुज्ञप्तिधारी उसमें किसी बदलाव के लिए आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर लेता है।

5. अनुज्ञप्तिधारी की गतिविधियाँ :–

5.1 अनुज्ञप्तिधारी आयोग के पूर्व सामान्य या विशेष अनुमोदन के बिना :–

(क) विद्युत का क्रय या आयात या अन्यथा रूप से अर्जन नहीं करेगा या ऐसा करने के लिए स्वयं को आबद्ध नहीं करेगा,

(ख) वितरण अनुज्ञप्ति की शर्तो के अनुसरण के सिवाय किसी व्यक्ति को विद्युत का विक्रय या अन्यत्र व्ययन नहीं करेगा,

(ग) किसी व्यापार में लाभकारी हित का स्वामित्व नहीं रखेगा या धारित करेगा, सिवाय –

(एक) ऐसे व्यक्ति के जो आयोग द्वारा प्रदान की गई सामान्य छूट के अनुसरण में विद्युत प्रदाय करता है, या

(दो) उसके वितरण कारोबार के प्रयोजन से भिन्न प्रदाय के क्षेत्र में व्यापार के लिए उपयोग में लाई गई सुविधाओं, या

(घ) किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी की उपयोगिता को क्रय या अधिग्रहण अन्यत्र रूप से अर्जित करने के लिए किसी संव्यवहार को हाथ में नहीं लेगा, या

(ङ) उसकी युटिलिटी को किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी की युटिलिटी के साथ अमामेलित नहीं करेगा।

5.2 ऊपर पैरा 5.1 में अंतर्विष्ट प्रतिबंध के होते हुए भी, अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति से जिसका इस अनुज्ञप्ति की तारीख को जनरेटिंग इकाई अनुज्ञप्तिधारी के वितरण प्रणाली के साथ जुड़ी है, विद्युत का क्रय या अर्जन करने का हकदार होगा। परन्तु अनुज्ञप्तिधारी आयोग को विद्युत ऊर्जा के ऐसे क्रय या अर्जन के विद्यमान व्यवस्था की आयोग को सूचना देगा और इस अनुज्ञप्ति के जारी करने की तारीख के पश्चात् निष्पादित की जाने के लिए प्रस्तावित नई व्यवस्था के लिए सामान्य या विशेष अनुमोदन प्राप्त करेगा।

5.3 अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ताओं और आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के सिवाय अनुज्ञप्तिधारी प्रस्तावित किसी अन्य व्यवस्था, के प्रारंभ के 7 दिन पूर्व आयोग को सूचना दिए बिना, जिसमें अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली के माध्यम से विद्युत के वहन के लिए आयोग द्वारा प्राधिकृत न किए किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी या व्यक्ति को सेवाओं की नई उपबंध की व्यवस्था प्रारंभ नहीं करेगा। उपभोक्ता से भिन्न किसी व्यक्ति को प्रदाय की निरंतरता के हित में अव्यवहित औपचारिक कार्रवाई की परिस्थितियों में अनुज्ञप्तिधारी इस खण्ड के 5.3 में निर्दिष्ट क्रियाकलाप प्रारंभ कर

सकेगा परन्तु अनुज्ञप्तिधारी उसके 7 दिनों के भीतर ऐसी घटना या परिस्थितियों की आयोग को सूचना देगा।

5.4 अनुज्ञप्धिारी वितरण और प्रदाय के लिए मितव्ययी रीति में और उपायन पारदर्शी ऊर्जा क्रय या उपापान प्रक्रिया के अधीन और समय–समय पर आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों, दिशा निर्देशों, निदेशों के अनुसार एक मितव्ययी रीति में वितरण और प्रदाय के लिए वांछित ऊर्जा का क्रय करेगा।

5.5 अनुज्ञप्तिधारी आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी अन्य कारोबार में संलग्न नहीं होगा। आयोग ऐसी अनुज्ञा अनुज्ञप्तिधारी के अनुरोध पर देगा परन्तु ऐसी गतिविधि से वितरण को समाविष्ट करते हुए आस्तियों और अधोसंरचना कमाई योग्य नियोजन में सम्भाव्य हो और निम्नलिखित शर्तो के अध्ययीन हो :–

(क) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्त कारोबार और उसका आचरण किसी भी रीति में विद्वेषपूर्ण और/या प्रतिकूलतः प्रभावित न होता हो,

(ख) अनुज्ञप्तिधारी अन्य कारोबार क्रियाकलापों के संबंध में पृथक लेखा अभिलेख तैयार करेगा और रखेगा जो कि ऐसी गतिवधियों के संबंध में रखा जाना वांछित होगा जैसे कि वे किसी पृथक कंपनी द्वारा देय हो जिससे कि अन्य कारोबार की गतिविधियों के राजस्व, कीमत, आस्तियां, दायित्व, आरक्षित निधि और उपबंध उन अनुज्ञप्त कारोबार से पृथक रूप से पहचानने योग्य हो,

(ग) अनुज्ञप्तिधारी ऐसे दिशा निर्देशों, शर्तो का अनुपालन करेगा जो आयोग द्वारा निम्न के संबंध में विनिर्दिष्ट किये जाऐं :–

(एक) अन्य कारोबार गतिविधियों में लगा हुआ अनुज्ञप्तिधारी, और

(दो) ऐसे अन्य कारोबार के क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लाए गए अनुज्ञप्त कारोबार की आस्तियां हेतु उपयुक्त प्रतिकर के भुगतान के लिए,

(घ) अनुज्ञप्तिधारी आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना अन्य कारोबार गतिविधियों के प्रयोजन के लिए वितरण प्रणाली में उपयोजित किन्हीं आस्तियों का अंतरण नहीं करेगा।

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी उसके आधिपत्य में किन्हीं उपस्करों/ सामग्री को किराए पर देने का हकदार होगा। अनुज्ञप्तिधारी उसके आधिपत्य में विद्युत पोल पर

टेलीविजन चेनल या अन्य संचारण चैनल हेतु केबल बिछाने की अनुमति देने का हकदार होगा। अनुज्ञप्तिधारी उसके आधिपत्य के विद्युत पोल (खम्बो) /सम्पतियों पर विज्ञापन बोर्ड लगाने की अनुमति देने का भी हकदार होगा। अनुज्ञप्तिधारी कबाड़े, अनुपयोग्य सामग्रियों/उपस्करों का विक्रय या व्ययन करने का हकदार होगा। ऐसे क्रियाकलापों से प्राप्त आय को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को फाइल की जाने वाली वार्षिक राजस्व आवश्यकता याचिका में सम्मिलित की जाएगी।

5.6 अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति को ऋण देने या किसी वाध्यता के लिए कोई प्रतिभूति जारी करने के पूर्व आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेगा, ऐसे प्रकरण को छोड़कर जबकि अनुज्ञप्त कारोबार के प्रयोजन के लिए दिया या जारी किया गया हो। कर्मचारियों को उनकी सेवा शर्तो के अनुसरण में ऋण और कारोबार के सामान्य अनुक्रम में व्यापार अग्रिम प्राप्ति हेतु को ऐसे अनुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा से अपवर्णित किया जाता है।

5.7 अनुज्ञप्तिधारी उसकी किसी सहायिकी या धारण कम्पनी या किसी ऐसी धारण कम्पनी की सहायिकी से अनुज्ञप्त कारोबार के संबंध में किसी माल या सेवा को निम्न शर्तो पर हासिल कर सकेगा :–

(क) यह कि संव्यवहार अति परिचित आधार पर होगा और ऐसे मूल्य पर होगा जो कि परिस्थितियों के अनुरूप अच्छा और युक्तियुक्त हो,

(ख) यह कि संव्यवहार अनुज्ञप्त कारोबार के संबंध में माल और सेवाओं से सबंधित आयोग द्वारा विरचित किन्हीं विनियमों से संगत होंगे और

(ग) यह कि अनुज्ञप्तिधारी प्रस्तावित व्यवस्था के प्रारंभ होने के पूर्व आयेाग को 15 दिन का नोटिस देगा और नोटिस के साथ व्यवस्था के समस्त सुसंगत विवरण उपलब्ध करेगा।

5.8 अनुज्ञप्तिधारी सहायिकी स्थापित कर सकेगा या सहायक कम्पनियां स्थापित कर सकेगा या फ्रेन्चाइजी प्रदान कर सकेगा या प्रबंध संविदा कर सकेगा जिसमें ऐसे कृत्यों को संचालित करने या करने के लिए बिलिंग अभिकर्ता की नियुक्ति सम्मिलित है जिसे अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम के अधीन संचालित करने या चलाने के लिए प्राधिकृत है। परन्तु यह कि :–

(क) ऐसी कोई भी सहायिकी या एसोसिएटेड कंपनी या ठेकेदार या अभिकर्ता, अनुज्ञप्तिधारी के संपूर्ण पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन और इस अनुज्ञप्ति की शर्तो पर कार्य करेगा, और

(ख) अनुज्ञप्तिधारी किसी ऐसी सहायिकी या ऐसासिएटेड कंपनी या फ्रेन्चइजी या ठेकेदार के किसी कृत्य को प्रत्यायोजित करने के पूर्व ऐसी शर्तो के अध्यधीन जैसी कि आयोग नियत करे, 100 लाख रूपये प्रति वर्ष से अधिक के मूल्य के संव्यवहार के लिए आयोग को सूचित करेगा,

(ग) अनुज्ञप्तिधारी किसी समानुषंगी या सहयुक्त कम्पनियों या फ्रेन्चाइचीज या अभिकर्ता या ठेकेदार के समस्त कृत्यों के लिए उत्तरदायी होगा और व्यवस्था ठहराव को समाप्त कर सकेगा यदि उनका प्रदर्शन अनुज्ञप्तिधारी को संतोषप्रद नहीं प्राप्त होता है।

5.9 जहाँ ऐसी पूर्व अनुमति अपेक्षित हो वहाँ अनुज्ञप्तिधारी सुसंगत तथ्यों को प्रकट करते हुए आयोग के पास एक यथोचित आवेदन फाइल करेगा। आयोग, आवेदन फाइल करने के 30 दिन के भीतर आवेदन के समर्थन में अतिरिक्त जानकारी मांग सकेगा। आयोग, सामान्यतः ऐसी अतिरिक्त जानकारी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर या आयोग द्वारा कोई जानकारी नहीं चाही जाती तो आवेदन फाइल करने के 60 दिवस के भीतर ऐसे शर्तो या उपांतरणों के अध्यधीन जैसा कि समुचित समझा जाए, ठहराव को अनुज्ञात कर सकेगा या आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले उपादेय में लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए उसे अस्वीकार कर सकेगा।

5.10 अनुज्ञप्तिधारी, इस अनुज्ञप्ति या इस अनुज्ञप्ति के अधीन कृत्य केवल आयोग के पूर्व अनुमोदन से किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित या न्यस्त कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी यथा पूर्वोक्त आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उस निमित्त सुसंगत तथ्यों को प्रकट करते हुए आयोग के पास एक यथोचित आवेदन फाइल करेगा।

6. सब्सिडी का प्रतिषेध :–

6.1 अनुज्ञप्तिधारी, आयोग की पूर्व अनुमति के बिना केन्द्रीय अधिनियम की धारा 65 के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी के सिवाय किसी व्यक्ति या अनुज्ञप्ति के किसी अन्य कारोबार से कोई सब्सिडी या अनुदान न तो देगा या लेगा, या कोई सब्सिडी या अनुदान प्राप्त नहीं कर सकेगा।

7. लेखे :–

7.1 अनुज्ञप्तिधारी का वित्तीय वर्ष एक अप्रैल से आगामी 31 मार्च तक चलेगा।

7.2 अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्त कारोबार और कोई अन्य कारोबार से संबंध में :–

(क) ऐसे लेखे अभिलेख रखेगा जो प्रत्येक ऐसे कारोबार के संबंध में रखा जाना अपेक्षित होगा जिससे कि अनुज्ञप्त कारोबार को युक्तियुक्त रूप से लगाने योग्य राजस्व, व्यय, आस्तियां, दायित्व, संचिति और निवेश, को अनुज्ञप्तिधारी की पुस्तक में उन अन्य कारोबार से जिसमें अनुज्ञप्तिधारी लगा रह सकेगा, पृथक रूप से अभिज्ञेय है।

(ख) ऐसे लेखे अभिलेख से प्रचलित आधार पर तैयार करेगा और आयोग को भेजेगा,

(एक) वित्तीय विवरण,

(दो) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम छह माह के संबंध में एक अंतरिम लाभ और हानि लेखा, नकद प्रवाह कथन और ऐसे आधारीय दस्तावेजों और जानकारी के साथ तुलन पत्र जैसा कि समय–समय पर विहित किया जाए,

(तीन) खण्ड 7 के अनुसार तैयार किये गए वित्तीय कथन के संबंध में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए यह अधिकथित करते हुए किसी संपरीक्षक की रिपोर्ट कि क्या उनकी राय में इन विवरणों को खण्ड 7 के अनुसार उचित रूप से तैयार किया गया है और ये राजस्वों, व्यय, आस्तियों, दायित्वों संचिति और निवेश का निम्न बिन्दुओं पर सत्य और ऋजु दृष्टिकोण देंगे,

अ– कम्पनी की स्थिति के संबंध में तुलन पत्र,

ब– वित्तीय वर्ष के लिये लाभ–हानि हेतु लाभ–हानि लेखा,

(चार) प्रत्येक अंतरिम लाभ और हानि लेखा की एक प्रति देगा, जो उस अवधि में जिससे वह संबंधित है, के 90 दिनों के पश्चात्, न हो और लेखा विवरण तथा सम्परीक्षक की रिपोर्ट देगा जो उस वित्तीय, जिससे वह संबंधित है, की समाप्ति के 6 माह के पश्चात् न हो।

7.3 अनुज्ञप्तिधारी, आयोग को पूर्व सूचना दिए बिना पूर्व विततीय वर्ष के संबंध में लागू वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखा कथन की तैयारी के संबंध में भार या अनुपात या राजस्व का आबंटन या व्ययों के आधार को सामान्यतः परिवर्तित नहीं करेगा। भार या राजस्व के अनुपात या व्यय में यदि कोई परिवर्तन प्रस्तावित हो तो यह कम्पनी अधिनियम 1956 लेखा मानक या नियम और इस संबंध में आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।

7.4 जहाँ किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखा विवरण में अनुज्ञप्तिधारी ने अव्यवहित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए अंगीकृत उन भार या अनुपात या आबंटन के आधार को परिवर्तित कर दिया है तो अनुज्ञप्तिधारी, यदि आयोग द्वारा अनुरोध किया जाने पर(उन आधार पर लेखा विवरण तैयार करने के अतिरिक्त जिन्हें उसने अंगीकृत किया है) उस आधार पर ऐसे लेखा विवरण तैयार करेगा जो अत्यवहित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के संबंध में लागू होते थे।

7.5 खण्ड 7.2 के अधीन लेखा विवरण, जब तक अन्यथा रूप से आयोग द्वारा अनुमोदित या निर्देशित न कर दिए जाए, –

(क) विनियमों में विहित रीति में अनुज्ञप्तिधारी के वार्षिक लेखा तैयार और प्रकाशित किए जाएंगे,

(ख) अंगीकृत की गई लेखा नीतियों को अधिकथित करेगा,

(ग) सामान्यतः स्वीकार किए गए भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए जाएंगे,

7.6 अनुज्ञप्त कारोबार या अन्य कारोबार में युक्तियुक्त रूप से लगाने योग्य व्ययों का दायित्वों हेतु इस दस्तावेज के खण्ड 7 में संदर्भित ऐसी पूंजीगत आस्तियां जो कि सैद्धांतिक रूप से ऐसे कारोबार और उस पर ब्याज से संबंधित है एवं कराधान को छोड़कर मानी जावेंगी।

7.7 अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि खण्ड 7.2 के अधीन तैयार किए गए प्रत्येक वित्तीय वर्ष से संबंधित लेखा विवरण और खण्ड 7.2 (ख) (तीन) में निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सम्परीक्षक रिपोर्ट ऐसी रीति में प्रकाशित की जावेगी जैसा आयोग निर्देशित करे और उसकी द्विप्रतिलिपिकरण को युक्तियुक्त मूल्य से अनधिक की कीमत पर किसी व्यक्ति द्वारा अनुरोध किया जाने पर उपलब्ध कराई जाए

7.8 आयोग, ऐसे समय से जिसे वह उपयुक्त समझे अनुज्ञप्तिधारी के वितरण कारोबार और प्रदाय को पृथक मानते हुए अनुज्ञप्पिधारी से ऊपर खण्ड 7.1 से 7.7 के उपबंधों का पालन करने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसे किसी भी दिशा–निर्देश का अनुज्ञप्तिधारी पालन करेगा जो इस संबंध में आयोग द्वारा जारी किए जाएं। खुली पहुंच की अपेक्षाओं की पूर्ति के क्रम में लेखा विवरण में पूंजीगत व्यय, वितरण कारोबार ओर प्रदाय कारोबार के लिये पृथक रूप से लेखा विवरण संधारित किया जाना चाहिए जबकि राजस्व व्यय के प्रयोजन के लिए सामान्य सेवाऐं उन्हें यथोचित रूप से आयोग की जानकारी में लाकर आबंटित कर किया जा सकेगा।

7.9 अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति को उस रकम से अधिक का भुगतान नहीं करेगा जो शर्तो के वाणिज्यिक अनुबंध पर शेध्य है।

7.10 अनुज्ञप्तिधारी उपयोग में लाई जा रही अस्तियों का एक आस्ति रजिस्टर संधारित करेगा, समय समय पर उसे अद्यतन करेगा और आयोग द्वारा उस पर वांछित जानकारी उपलब्ध कराएगा।

8. अनुचित अधिमानता का प्रतिषेध :–

8.1 अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति के प्रति अनुचित अधिमानता प्रदर्शित नहीं करेगा परन्तु अनुज्ञप्तिधारी इस अनुज्ञप्ति के अधीन उसकी वचनबद्धता के भंग का उत्तरदायी नहीं समझा जाएगा यदि कोई अनुचित अधिमानता केन्द्रीय अधिनियम या म.प्र. अधिनियम के अधीन आयोग के किन्हीं निर्देशों के पालन से होती हो। सामान्यतः अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय करना जिससे पिछले छहः माह या अधिक समय के विद्युत देयक की राशि वसूल न की गई हो अनुचित अधिमानता समझा जाएगा। ऐसे प्रकरणों की सारी जानकारी उपभोक्ता की श्रेणीवार आयोग को भेजी जावेगी।

9. आयोग को जानकारी देने का उपबंध–

9.1 अनुज्ञप्तिधारी उन सभी जानकारियों को उस पर लागू होने वाले संलग्न प्रारूपों में इन शर्तो के लागू होने के साठ दिवस के अंदर आयोग को देगा। वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के एक माह के भीतर सभी प्रारूपों में संबंधित जानकारी अनुज्ञप्तिधारी आयेाग को प्रतिवर्ष देगा।

9.2 अनुज्ञप्तिधारी असम्यक विलंब के बिना आयोग को ऐसी जानकारी और विवरण प्रस्तुत करेगा जो अनुज्ञप्त कारोबार या अनुज्ञप्तिधारी के किसी अन्य कारोबार से

संबंधित हो और जिसे आयोग द्वारा उसके स्वयं के प्रयोजन के लिए या भारत सरकार, राज्य सरकार, केन्द्रीय आयोग और/ केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित समझी जाए।

9.3 अनुज्ञप्तिधारी यथा संभव शीघ्र आयोग को वितरण प्रणाली के किसी भाग को प्रभावित करने वाली किसी मुख्य घटना को जो घटित हुई है आयोग को अधिसूचित करेगा और शीघ्र संभव तथा ऐसी मुख्य घटना भी दिनांक से 2 माह के भीतर –

(क) घटना और उसके कारण के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी की ज्ञान के भीतर तथ्यों का पूर्ण विवरण देते हुए आयोग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(ख) उपखण्ड(क) के अधीन रिपोर्ट में यदि मुख्य घटना की तारीख से दो माह से अधिक लगना संम्भाव्य हो तो अनुज्ञप्तिधारी घटना की ऐसी दिनांक से 2 माह के भीतर ऐसे विवरण के साथ जिसे अनुज्ञप्तिधारी प्रस्तुत कर सके एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और इन कारणों को अधिकथित करेगा कि ऐसी घटना की पूर्ण रिपोर्ट देने के लिए अनुज्ञप्तिधारी को 2 माह से अधिक का समय क्यों अपेक्षित है।

(ग) मुख्य घटना से संबंधित समक्ष पक्षकारों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को रिपोर्ट की प्रतियां देगा जिन्हें आयोग द्वारा निदेशित किया जाए।

9.4 मुख्य घटना क्या है इस पर आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा। जहाँ अनुज्ञप्तिधारी के किसी कर्मचारी या अभिकर्ता की किसी भूलचूक या उपेक्षा के कृत्य द्वारा बड़ी घटना से किसी व्यक्ति को बड़ी चोट कारित होती है या उसके विधिक प्रतिनिधि को जिसकी मृत्यु ऐसी घटना से हो जाती है, वहाँ आयोग अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात प्रतिकर की रकम भुगतान करने का आदेश कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी विद्युत दुर्घटना से पशुओं की मृत्यु होने की घटना को अभिलिखित करने की प्रक्रिया को क्रियान्वित करेगी ओर अनुज्ञप्तिधारी के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करेगा।

9.5 आयोग अपने स्व–विवेक से स्वयं के व्यय पर किसी स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा तैयार की जाने वाली किसी घटना या घटनाओं की एक रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण की अपेक्षा कर सकेगा।

9.6 अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा समय–समय पर जनहित में निर्दिष्ठ ऐसे बिन्दुओं का अध्ययन करेगा जिससे उसका वितरण कारोबार और उससे जुड़े अन्य बिन्दुओं में सुधार हो। ऐसे कार्यो को पैरा 26 के अनुसार औसत राजस्व के अवधारण में सम्मिलित किया जाएगा।

9.7 अनुज्ञप्तिधारी, किसी अनुमोदित संविदा के अधीन किसी युटिलिटी या व्यापारी द्वारा उसके दायित्वों की पूर्ति न कर पाने के करण की किसी घटना के बारे में आयोग को सूचित करेगा, जिसके कारण वह इस अनुज्ञप्ति के अधीन उसके दायित्वों की पूर्ति न कर पा रहा हो ।

9.8 आयोग, किसी भी समय खण्ड 9.2 से 9.6 के उपबंधों का उन घटनाओं जिन्हें आयोग विशिष्टत निदेशित करे पालन करने की अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षा कर सकेगा और अनुज्ञप्तिधारी उनका अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा भले ही ऐसी घटनाऐं बड़ी घटनाऐं न हो परन्तु खण्ड 9.2 में विनिर्दिष्ट समय सीमा उस तारीख से प्रारम्भ होगी जिस तारीख को आयोग ऐसी अपेक्षा को अनुज्ञप्तिधारी को अधिसूचित करता है।

9.9 अनुज्ञप्तिधारी अंतरण योजना की तारीख के 3 माह के भीतर 5 वर्षीय कारोबार प्लान प्रस्तुत करेगा और उसे वार्षिक रूप से अद्यतन करेगा जिसमें वर्ष बार भारवृद्धि, वर्षवार विवरण, विशिष्ट कार्यवाई योजना के साथ हानि में कमी करने का प्रस्ताव, सामग्री योजना, विनिधान योजना(जिसमें जनरेटिंग सेट या ट्रेडिंग कम्पनी में विनिधान सम्मिलित है), पूर्व हानियों का उपचार, उधार पुर्नसंरचना योजना, ग्रामीण विद्युतिकरण के लिये योजना, लागत में कभी की योजना, संभावित लाभ और हानि लेखे, प्रतिशत(संभावित) महत्वपूर्ण वित्तीय पैरामीटर्स सम्मिलित है।

9.10 आयोग अनुज्ञप्तिधारी से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही पर यह अपेक्षा करेगा कि वह पूर्व वित्तीय वर्ष के कारोबार की योजना के क्रियान्वयन में की गई प्रगति को वास्तविक क्रियान्वयन की तुलना में अर्थात 5 वर्ष के एक ब्लॉक के लिए आयोग द्वारा यथा अनुमोदित योजना को सूचित करे।

10. विनिधान :–

10.1 अनुज्ञप्तिधारी, मितव्ययी और दक्ष रीति और इस अनुज्ञप्ति के निबंधनों के अनुसार तथा विनियमों, मार्गदर्शन, निदेश और समय–समय आयोग द्वारा जारी किए गए

आदेश के अनुसार के सिवाय कोई विनिधान नहीं करेगा, जिसमें जनरेटिंग सेट या ट्रेडिंग कंपनी सम्मिलित है।

10.2 आयोग, अनुज्ञप्तिधारी से आयोग के अनुमोदन के लिए क्रियान्वयन में ली जाने वाली विनिधान स्कीम के ब्यौरे के साथ एक पांच वर्षीय विनिधान योजना(कारोबार योजना के एक भाग के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली) प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान क्रियान्वयन में ली जाने वाली विनिधान स्कीम के ब्यौरे के साथ वार्षिक विनिधान योजना, और

(ख) पांच वर्ष के एक ब्लॉक के लिए आयोग द्वारा यथा अनुमोदित प्लान के संबंध में वास्तविक क्रियान्वयन की तुलना के साथ पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक विनिधान स्कीम के क्रियान्वयन में की गई प्रगति।

10.3 अनुज्ञप्तिधारी समय–समय पर आयोग द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार विनिधाम की स्कीमों के लिये आयेाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिये आयोग को एक आवेदन करेगा और आयोग का समाधान करते हुए यह प्रदर्शित करेगा कि :–

(क) वितरण प्रणाली में विनिधान की आवश्यकता है जिसे कि अनुज्ञप्तिधारी हाथ में लेना का प्रस्ताव करता है।

(ख) अनुज्ञप्तिधारी ने ऐसी आवश्यकता की पूर्ति के लिये नई वितरण प्रणाली आस्तियों का विनिधान करने के लिये या अर्जित करने के लिये प्रस्तावों के समस्त विकल्पों के आर्थिक, तकनीकि प्रणाली और पर्यावरणीय पहलुओं का परीक्षण कर लिया है।

10.4 अनुज्ञप्तिधारी उपस्कर, सामग्री और/या ऐसे विनिधान और मरम्मत तथा अनुरक्षण से संबंधित सेवाओं को प्राप्त करने के लिये आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के अनुसार निविदाओं को आमंत्रित करेगा और उनको अंतिम रूप देगा।

10.5 अनुज्ञप्तिधारी, आयेाग को खण्ड 26 के निबंधन में फाईल की गई ''सम्भावित राजस्व गणना'' के साथ आयोग द्वारा अनुमोदित की गई उन स्कीमों को समाविष्ट करते हुए वार्षिक विनिधान योजना के मुख्य बिन्दु एवं आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बनाई गई योजना को, आयोग के अनुमोदन के लिए, आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उक्त विनिधान योजना के अनुसार उक्त वित्तीय वर्ष में विनिधान करेगा। परन्तु यदि किसी अनपेक्षित आकस्मिकताओं के कारण वार्षिक विनिधान

योजना में सूचीबद्ध स्कीम के भीतर निधियों के पुर्नआबंटन की आवश्यकता हो तो आयोग के अनुमोदन के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी ऐसा कर सकेगा। यदि अनपेक्षित परिस्थितियों के कारण अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी स्कीम में विनिधान करना अपेक्षित हो जिसका स्थान वार्षिक विनिधान योजना में नहीं है तो अनुज्ञप्तिधारी आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ऐसा कर सकेगा।

11. आस्तियों का अंतरण :–

11.1 अनुज्ञप्तिधारी एकल संव्यवहार में या संबंधित संव्यवहार के समूह में किसी भी मूल्य की किसी भूमि या भवन या अन्य आस्ती जिसका वही मूल्य प्रस्तावित अंतरण के समय 100 लाख रूपयों से अधिक हो, घोषित अधिशेष या अतिशेष को छोड़कर, खण्ड 11 में वर्णित नियत शर्तो का पालन किये बिना अंतरण या नियंत्रण का त्याग नहीं करेगा। अनुज्ञप्तिधारी इस आदेश के उपबंधों की परिवंचना करने के लिये आस्ति या उसके भाग को विभाजित/ विभक्त या टुकड़े–टुकड़े नहीं करेगा।

11.2 अनुज्ञप्तिधारी 100 लाख रूपये से अधिक के मूल्य की किन्हीं आस्ति के चालू नियंत्रण को आयोग की पूर्व लिखित सूचना दिये बिना व्यज्य या अंतरित नहीं करेगा और समस्त सुसंगत तथ्यों को लिखित नोटिस के माध्यम से आयोग के समक्ष प्रकट करेगा। आयोग, नोटिस की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर संव्यवहार के समर्थन में और जानकारी प्राप्त कर सकेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसी और जानकारी प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर और जहाँ आयेाग द्वारा यथापूर्वोक्त और जानकारी चाही जाती हो वहाँ आवेदन फाईल करने के 60 दिनों के भीतर ऐसे शर्तो या उपांतरणों के अध्यधीन अंतरण व्यवस्था को अनुमोदित करेगा जैसी की समुचित समझी जाए। आयोग अपने लिखित आदेश द्वारा कारणों को बताते हुए उसे अस्वीकृत कर सकता है।

11.3 अनुज्ञप्तिधारी खण्ड 11.2 के अधीन दिये गए किसी नोटिस में विनिर्दिष्ट किसी आस्ति के चालू नियंत्रण को अंतरित या त्याग सकेगा जहाँ :–

(क) आयोग लिखित में यह पुष्टि करता है कि वह चालू नियंत्रण के ऐसे अंतरण या व्यजन की लिखित में पुष्टि ऐसी शर्तो के अध्यधीन करता है जैसी कि आयोग द्वारा अधिरोपित की जाए; या

(ख) आयोग निबंधन 11.2 में निर्दिष्ट नोटिस की अवधि के भीतर चालू नियंत्रण के ऐसे अंतरण या व्यजन पर कोई आपत्ति को लिखित में अनुज्ञप्तिधारी

को सूचित नहीं करता है और अंतरण पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाने की प्रक्रिया द्वारा प्रभावी होता है।

11.4 अनुज्ञप्तिधारी किसी आस्ति पर चालू नियंत्रण का अंतरण या व्यजन भी कर सकेगा, जहाँ कि :–

(क) आयोग ने निम्न संबंध में सामान्य सहमति(चाहे शर्तो के अध्यधीन हो या न हो) अंर्तविष्ट करते हुए इस खण्ड 11 के प्रयोजन के लिये निदेश जारी कर दिये हैं :–

(एक) किसी विनिर्दिष्ट वर्णन का संव्यवहार और/ या

(दो) किसी विनिर्दिष्ट वर्णन की आस्ति के ऊपर चालू नियंत्रण का अंतरण या व्यजन।

(तीन) चालू नियंत्रण का अंतरण या व्यंजन किसी ऐसी शर्त के अनुसार है जिसके की अधीन सहमति है

(ख) प्रश्नगत चालू नियंत्रण का अंतरण या व्यंजन, किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अपेक्षित है।

(ग) प्रश्नगत आस्ति किसी अन्य कारोबार के संबंध में जो खण्ड 5.5 के अनुसरण में अनुज्ञप्तिधारी को करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो एवं जो अन्नयतः या प्राथमिक रूप से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अर्जित और उपयोग में लाई गई थी और इससे भूमि में कोई विधिक या हितकारी हित गठित नहीं होता है या वितरण प्रणाली का कोई भाग नहीं है।

11.5 उपरोक्त कथित के होते हुए भी, अनुज्ञप्तिधारी उसकी विनिधान आवश्यकताओं के वित्त पोषण को सुकर बनाने के साधन के रूप में आस्तियों का उपयोग निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन रहते हुए करने का हकदार होगा, जिसमें ऋण वित्त पोषण, विक्रय और पट्टा वापसी और प्राप्यों का प्रतिरक्षण सम्मिलित है :–

(क) यह कि अनुज्ञप्तिधारी सुसंगत करार की प्रभावी दिनांक के कम से कम 15 दिन पूर्व ऐसे अनुबंध, के बारे में आयोग को सूचित करेगा।

(ख) अनुज्ञप्तिधारी आस्तियों के ऐसे उपयोग में बुद्धिमानी और युक्तियुक्त रीति में कृत्य करता हो –

(ग) अनुज्ञप्तिधारी वितरण प्रणाली में आस्तियों के ऊपर चालू नियंत्रण प्रतिधारित करता हो।

12. फीस का भुगतान

12.1 अनुज्ञप्तिधारी को भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 के अनुसार टेरिफ निर्धारण हेतु आयोग को आवेदन ऐसी फीस के साथ प्रस्तुत करना होगा जो कि आयोग द्वारा अधिसूचित विनियम में निर्धारित की गई हो। अनुज्ञप्तिधारी फीस का भुगतान आयोग द्वारा इस बावत् अधिसूचित विनियम में दर्शाये गई कालखण्ड एवं अवधि में आयोग को करेगा।

12.2 जहाँ अनुज्ञप्तिधारी शोध्य तिथि तक खण्ड 12.1 के अधीन किसी भी शोध्य फीस का भुगतान आयोग को करने में असफल रहता है वहाँ –

(क) अन्य दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुज्ञप्तिधारी 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज बकाया रकम पर देने का दायी होगा। ब्याज उस दिन के पश्चात् की अवधि पर देय होगा जिसको कि रकम शोध्य होती है और उस दिन को समाप्त होगा जिस तारीख को आयोग को भुगतान किया जाता है।

(ख) अनुज्ञप्तिधारी म.प्र. अधिनिमय में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी फीस की वसूली के लिये कार्यवाहियों के अध्यधीन होगा।

(ग) आयोग अधिनियम की धारा 19 और इस अनुज्ञप्ति के खण्ड 13 के अनुसरण में इस अनुज्ञप्तिध को विखण्डित कर सकेगा।

12.3 अनुज्ञप्तिधारी खण्ड 26 के अनुसार किए गए औसत राजस्व के अवधारण में व्यय के रूप में इस खण्ड 12 के अधीन उसके द्वारा संदत्त किसी फीस को लेखे में लेने का हकदार होगा किन्तु इस खण्ड के अनुसरण में संदत्त किसी ब्याज को लेखे में नहीं लेगा।

13. अनुज्ञप्ति की शर्तो में संशोधन :–

अनुज्ञप्ति की इन शर्तों में, आयोग द्वारा किसी भी समय जनहित में जब भी उपयुक्त समझा जावे, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 18 के अनुरूप संशोधन किया जा सकता है।

14. प्रतिसंहरण की शर्ते :–

14.1 केन्द्रीय अधिनियम की धारा 19 के उपबंधो और उसके अधीन विरचित विनियमों के अधीन, आयोग, इस अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के लिए अनुज्ञप्ति के विरूद्ध कार्यवाहियों को किसी भी समय प्रारंभ कर सकेगा और यदि ऐसी कार्यवाहियों में

प्रतिसंहरण के आधारों पर लोक हित में विचार करने के पश्चात् समाधान हो जाता है तो इस अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहत कर सकेगा यदि अनुज्ञप्तिधारीः–

(क) आयोग की राय में इस अधिनियम या उसके पश्चात् बनाए गए विनियमों के अधीन उसके द्वारा वांछित किसी बात को करने में जानबूझकर और दीर्घ व्यक्तिक्रम करता है,

(ख) उसकी अनुज्ञप्ति के किन्ही शर्तो का उल्लंघन करता है जिसके उल्लंघन से अनुज्ञप्ति अभिव्यक्त प्रतिसंहत हो जाए,

(ग) उसकी अनुज्ञप्ति में नियत अवधि के भीतर या ऐसी किसी दीर्घ अवधि जिसे आयोग ने प्रदान किया हो, के भीतर –

(एक) आयोग को यह दर्शाने में असफल रहता है कि अनुज्ञप्ति द्वारा उसके ऊपर अधिरोपित, कर्त्तव्यों और दायित्वों का पूर्ण और दक्षता से निर्वहन करने की स्थिति में है,

(दो) अनुज्ञप्ति द्वारा वांछित प्रतिभूति निक्षेप करने या प्रस्तुत करने या फीस या अन्य प्रभार का संदाय करने में असफल रहता है,

(घ) जहाँ, आयोग की राय में अनुज्ञप्तिधारी की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वह उस पर अधिरोपित कर्त्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन पूर्णतः और दक्षता से करने में असमर्थ रहता है,

(ङ) ऐसा कृत्य करता है, जिससे यह अधिनियम या विनियम में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर उसकी अनुज्ञप्ति प्रतिसंहरणीय हो जाए

14.2 जहाँ उसकी राय में लोक हित में ऐसा करना आवश्यक हो तो आयोग आवेदन प्राप्त होने पर या अनुज्ञप्तिधारी की सहमति से अनुज्ञप्ति को पूर्ण रूप से या उसके वितरण क्षेत्र के किसी भाग के लिए ऐसे शर्तो पर प्रतिसंहत कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे।

14.3 इस अनुज्ञप्ति की यह शर्त है कि अनुज्ञप्तिधारी समस्त विनियमों, कोड, मानकों तथा आयोग के आदेशों और निदेशों का भी पालन करेगा। जब आयोग अभिव्यक्तः कि अनुज्ञप्तिधारी से आदेश के पालन को अधिकथित करता है तो उस आदेश के अनुपालन में असफल रहने से अनुज्ञप्ति केन्द्रीय अधिनियम(किसी अन्य लागू योग्य आधार पर इस अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहत करने के आयोग के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना) की धारा 19 के अनुसार प्रतिसंहरण के योग्य रहेगी।

15. प्रकीर्ण सामान्य शर्ते :–

15.1 अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा अनुमोदित समस्त कोड और विनियमों का पालन करेगा जिसमें विद्युत प्रदाय कोड, उपभोक्ता शिकायत के प्रतितोषण के लिये मार्गदर्शन, वितरण कोड और आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट मानक सम्मिलित है।

15.2 इस अनुज्ञप्ति के अधीन उसके कृत्य और दायित्वों को करने में अनुज्ञप्तिधारी केन्द्रीय अधिनियम, मध्यप्रदेश अधिनियम ओर उसके अधीन बनाए गए नियमों ओर विनियमों की अपेक्षाओं को पूर्ण करेगा।

15.3 आयेाग अनुज्ञप्तिधारी को किन्ही शक्तियों या प्राधिकार का प्रयोग करने के लिये, जिन्हें कि आयोग केन्द्रीय अधिनियम या म.प्र. अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान करे, का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करते हुए एक आदेश प्रकाशित कर सकेगा।

15.4 अनुज्ञप्तिधारी केन्द्रीय अधिनियम की धारा 162 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गए विद्युत निरीक्षक द्वारा पारित कोई भी आदेश का पालन करेगा। परन्तु विद्युत निरीक्षक द्वारा पारित ऐसा कोई भी आदेश केन्द्रीय अधिनियम की धारा 162 में यथा उपबंधित अपील के अध्यधीन होगा।

16. विवाद हल करना और अनुज्ञप्ति के निर्वचन पर विनिश्चय :–

16.1 आयेाग, केन्द्रीय अधिनियम की धारा 86(1)(च) या मध्यप्रदेश अधिनियम की धारा 39(1)(ख) के अनुसरण में अनुज्ञप्तिधारी और किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी के बीच विवाद को न्यायनिर्णित करने या हल करने के लिए मध्यस्थता हेतु नाम निर्दिष्ट करने का हकदार होगा।

16.2 इस अनुज्ञप्ति और शर्तो के बारे में निर्वचन करने के संबंध में उद्‌भूत होने वाले समस्त बिन्दु आयोग के अवधारण का विषय होंगे और ऐसे बिन्दुओं पर आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा किन्तु यह विनिश्चय केन्द्रीय अधिनियमों की धारा 110 के अधीन अपील के अध्यधीन रहेगा।

भाग : तीन–तकनीकी शर्ते

17. विद्युत उपायान प्रक्रिया :–

17.1 अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित 17.2 और 17.3 शर्तो के अधीन आयोग द्वारा प्रदान किये गए प्राधिकरण के बिना विद्युत क्षमता और/या ऊर्जा का क्रय नहीं करेगा।

17.2 अनुज्ञप्तिधारी भार अनुमान, ऊर्जा उपार्जन योजना और उपार्जन प्रक्रिया की तैयारी से संबंधित समय–समय पर आयोग द्वारा जारी किये गए मार्गदर्शन का अनुसरण करने के पश्चात् आयोग द्वारा यथा अनुमोदित किसी पारदर्शी उपार्जन प्रक्रिया के अधीन एक मितव्ययी और दक्ष रीति में विद्युत क्षमता/या ऊर्जा क्रय करेगा।

17.3 पैरा 17.1 के अधीन अपेक्षित प्राधिकरण तब प्रदत्त कियका जाएगा जब कि अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग का समाधान कर दिया हो कि :–

(क) विद्यमान विद्युत प्रदायकर्ता अनुज्ञप्तिधारी को अतिरिक्त विद्युत क्षमता मितव्ययी आधार पर प्रदाय करने में असमर्थ है और अतिरिक्त विद्युत क्षमता और/या ऊर्जा शर्त 21 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी के सेवा दायित्व की पूर्ति के लिये आवश्यक है।

(ख) अनुज्ञप्तिधारी ने अतिरिक्त विद्युत क्षमता और/या ऊर्जा(मांग के स्तर को कम करने के लिए व्यवस्था सम्मिलित है) क्रय करने के लिये प्रस्तावों के वाणिज्यिक अनुरूप विकल्पों के आर्थिक, तकनीकी, प्रणाली और पर्यावरणीय पहलुओं का परीक्षण कर लिया है और ऐसा परीक्षण आयोग द्वारा अनुमोदित रीति में किया गया है

(ग) आयोग 180 दिनों के भीतर प्राधिकरण प्रदान कर सकेगा या लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए आवेदन को नामंजूर कर सकेगा। यदि 180 दिन के भीतर आयोग प्राधिकरण प्रदान नहीं करता है या आवेदन को नामंजूर नहीं करता है तो ऐसी अनुमति प्रदान की गई समझी जाएगी।

17.4 अनुज्ञप्तिधारी समस्त परिस्थितियों में निम्नलिखित रीति में विद्युत क्षमता और/या ऊर्जा का क्रय करेगा :–

(क) जिसमें अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत प्रदायकर्ताओं के अलावा उत्पादक/प्रदायकर्ता को ग्रिड कोड का पालन करना होगा।

(ख) मांग आवश्यकताओं के साथ क्षमता/ऊर्जा क्रय के विवरण आयोग को युक्तियुक्त समय मे सूचित कर दिये जाए।

18. ग्रिड कोड का अनुपालन :–

18.1 अनुज्ञप्तिधारी ग्रिड कोड के उन उपबंधों का पालन करेगा जो उस पर लागू है।

18.2 आयोग युक्तियुक्त आधार पर और किसी प्रभावित जनरेटिंग कम्पनी, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, राज्य पारेषण उपयोगिता, राज्य भार पारेषण केन्द्र और विद्युत व्यवसायियों से परामर्श के पश्चात् ग्रिड कोड के ऐसे भागों के संबंध में खण्ड 18.1 के अधीन उसके दायित्वों से अनुज्ञप्तिधारी को मुक्त करते हुए निर्देश जारी कर सकेगा।

18.3 आयोग द्वारा ग्रिड को अनुमोदित होने तक अनुज्ञप्तिधारी अन्तरिम ग्रिड कोड का पालन करेगा।

19. मानक और प्रक्रियाएं :–

19.1 आयोग के अनुरोध पर अनुज्ञप्तिधारी को आयोग द्वारा प्रस्तावित या अधिसूचित विकास, किसी मानक को जारी करने या पुर्नविलोकन करने, कोड, प्रक्रिया में आयोग द्वारा अपेक्षित सीमा तक भाग लेकर आयोग को सहायता करना वांछित होगा।

20. वितरण कोड और संनिर्माण पद्धतिः–

20.1 अनुज्ञप्तिधारी वितरण कोड के प्रभावी होने तक अंतरिम वितरण कोड का अनुसरण करेगा।

202. अनुज्ञप्तिधारी समय–समय पर अन्य अनुज्ञप्तिधारियों, जनरेटिंग कम्पनियों, राज्य पारेषण इकाई, राज्य भार प्रेषण केन्द्र और ऐसे अन्य व्यक्तियों से परामर्श के पश्चात् जिन्हें आयोग निर्देशित करे, वितरण कोड और उसके क्रियान्वयन का पुनर्विलोकन करेगा। अनुज्ञप्तिधारी ऐसे पुनर्विलोकन को हाथ में लेगा जब कभी उसे ऐसा करने के लिए आयोग द्वारा निर्देशित किया जाए। ऐसा पुनर्विलोकन करते समय अनुज्ञप्तिधारी आयोग को निम्नलिखित भेजेगा–

(क) ऐसे पुनर्विलोकन के परिणाम पर एक रिपोर्ट।

(ख) वितरण कोड का प्रस्तावित पुनरीक्षण जिसे अनुज्ञप्तिधारी ऐसे पुनर्विलोकन के परिणाम को ध्यान में रखते हुए वितरण कोड और इस अनुज्ञप्ति के उद्देश्यों की पूर्तियों के लिये युक्तियुक्त समझता हो।

(ग) ऐसे पुनर्विलोकन के दौरान प्राप्त समस्त अभ्यावेदन या आपत्तियाँ।

20.3 वितरण कोड के समस्त पुनरीक्षणों का आयोग से अनुमोदन अपेक्षित होगा।

20.4 अनुज्ञप्तिधारी ऐसे किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा अनुरोध किया जाने पर सुसंगत समय पर प्रवृत्त वितरण कोड और उसकी प्रक्रिया ऐसे मूल्य पर उपलब्ध करायेगा जो उसके द्विप्रतिलिपीकरण की युक्तियुक्त मूल्य से अधिक न हो।

20.5 अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली और उसकी वितरण सुविधाओं के संनिर्माण से संबंधित विद्यमान कोड और पद्धतियों का एक संकलन इस अनुज्ञप्ति को प्रदान करने के 60 दिन के भीतर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग के पास फाईल किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी विद्यमान कोड और पद्धति का पालन ऐसे उपांतरणों के साथ करेगा जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर निदेशित किया जाए। निर्माण पद्धतियों को सुसंगत तकनीकी विकास ओर परिवर्तन के आधार पर समय–समय पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पुनर्विलोकन कर उन्नयित किया जाएगा।

21. वितरण प्रणाली, योजना और सुरक्षा मानक वितरण पद्धति प्रचालन मानक, संपूर्ण प्रदर्शन मानक

21.1 अनुज्ञप्तिधारी विद्यमान वितरण प्रणाली योजना, सुरक्षा मानकों और विद्यमान वितरण प्रणाली एवं प्रचालन मानक का पालन ऐसे उपांतरणों के साथ करेगा जैसा कि आयोग द्वारा निदेशित किया जाए, जब तक कि पैरा 20.3 के अनुसरण में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित वितरण प्रणाली योजना और सुरक्षा मानक प्रचालन आयोग द्वारा अनुमोदित न कर दिये जाए।

21.2 अनुज्ञप्तिधारी उसकी वितरण प्रणाली की यह सुनिश्चित करते हुए योजना बनाएगा और प्रचालित करेगा कि समुचित गुणवत्ता की पर्याप्त ऊर्जा की उपलब्धता के अधीन प्रणाली उपभोक्ता को विद्युत के सुरक्षित विश्वसनीय और दक्ष प्रदाय के लिए समर्थ है। अनुज्ञप्तिधारी विशिष्टतः

(क) आयोग द्वारा यथा अनुमोदित वितरण कोड के साथ वितरण प्रणाली योजना और सुरक्षा मानकों के अनुसार उसकी वितरण प्रणाली की योजना बनाएगा और विकसित करेगा; तथा

(ख) आयोग द्वारा अनुमोदित वितरण कोड के साथ वितरण प्रणाली प्रचालन मानको के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली प्रचालित करेगा

21.3 अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 3 माह के भीतर पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली के प्रदर्शन को उपदर्शित करते हुए एक रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करेगा। पालन के मानकों को आयोग द्वारा इस अनुज्ञप्ति

के खण्ड 24 के अनुसार घोषित विद्युत प्रदाय कोड, उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रतितोषा के लिए मार्गदर्शन और उपभोक्ता अधिकार कथन का अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पालन आयोग द्वारा मापा जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा चाहे जाने पर आयोग द्वारा अनुमोदित रीति में रिपोर्ट की एक संक्षेपिका प्रकाशित करेगा।

21.4 अनुज्ञप्तिधारी ऐसी रीति में उसके अनुज्ञप्त कारोबार को संचालित करेगा जिसे वह केन्द्रीय अधिनियम की धारा 57 और म.प्र. अधिनियम की धारा 34 के अनुसरण में आयोग द्वारा विहित किये गए अनुसार उपभोक्ता द्वारा प्रदाय सेवाओं और विद्युत के दक्ष उपयोग के उन्नयन के संबंध में संपूर्ण पालक मानक प्राप्त करने के लिये युक्तियुक्त समझता हो।

21.5 अनुज्ञप्तिधारी वार्षिक रूप से आयोग को उन जानकारियों को प्रदान करेगा जिसके द्वारा वह खण्ड 21 में निर्दिष्ट संपूर्ण पालक मानकों और अन्य मानकों को प्राप्त करने का प्रस्ताव करता है।

22. उपभोक्ताओं और सार्वजनिक लैम्प को संयोजित करने का दायित्व :–

22.1 इस अनुज्ञप्ति के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए अनुज्ञप्तिधारी के निम्नलिखित दायित्व होंगे;

(क) अनुज्ञप्तिधारी प्रदाय के क्षेत्र के भीतर किसी परिसर के स्वामी या अधिभोगी के आवेदन पर उन परिसरों को विद्युत का प्रदाय उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिये अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली से संयोजन प्रदान करेगा जिसमें विद्युत प्रदाय कोड में उपबंधित शर्तो के अनुसार कोई अपेक्षित वितरण प्रमुखतार को बिछाना सम्मिलित है;

(ख) जहाँ किसी परिसर के स्वामी या अधिभोगी को खण्ड 22.1 की शर्तो के अधीन संयोजन अपेक्षित हो वहाँ किये जाने वाले आवेदन का प्रारूप उस प्रभाव के अधीन आवेदन के प्रत्युत्तर के लिये प्रक्रिया, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिर्दिष्ट और आयोग द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया और संरचना(विद्युत प्रदाय कोड सम्मिलित है) के अनुसार होगी।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं को प्रदाय के लिये समुचित गुणवत्ता की पर्याप्त ऊर्जा को उपार्जित करने के लिये प्रयत्न करेगा।

(घ) खण्ड 22.1 में किसी बात के होते हुए अनुज्ञप्तिधारी को अपरिहार्य घटना (फोर्स मेज्यूर) की परिस्थितियों में संयोजन उपलब्ध कराना नहीं होगा जहाँ

आयोग सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह समझता हो कि संयोजन का प्रदान करना अनुज्ञप्तिधारी के युक्तियुक्त नियंत्रण के बाहर है या आयोग द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से अनुज्ञप्तिधारी को मुक्त कर दिया जाता है।

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी, किसी क्षेत्र में सर्विस लाइन बिछाने या लगाने के प्रारंभ के पूर्व, जिसमें कि कोई वितरण प्रमुख तार पूर्व में बिछाया या लगाया न गया हो, केन्द्रीय अधिनियम की धारा 67 और 164 की धारा के उपबंधों के अनुसार कृत्य करेगा।

(च) अनुज्ञप्तिधारी, स्थानीय प्राधिकारी की मार्गप्रकाश और/या अन्य प्रयोजन के लिये संयोजन उपलब्ध कराने के अनुरोध को स्थानीय प्राधिकारी के विरूद्ध बकाया की दशा में अस्वीकार कर सकेगा।

22.2 जहाँ खण्ड 22.1 के उपबंधों के अधीन वितरण प्रमुखतार बिछाया जा चुका हो और उन प्रमुख तारों के माध्यम से या उनमें से किसी के माध्यम से ऊर्जा का प्रदाय प्रारंभ हो गया हो और राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदाय के क्षेत्र के भीतर किसी सार्वजनिक कैंप के लिये 2 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिये ऊर्जा के प्रदाय की अपेक्षा की जाती हो तो अनुज्ञप्तिधारी, वहाँ तक जहाँ कि वह ऐसा करने के लिये किन्हीं अपरिहार्य घटनाक्रम होने से या तकनीकी योग्यता के अभाव में या अन्य अवरोधों द्वारा बाधित न हो जाए तब तक वह ऐसे लैंप के लिये उतनी मात्रा में ऊर्जा का प्रदाय जारी रखेगा जितनी की यथास्थिति राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाए। राज्य सरकार या सुसंग स्थानीय प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी से निम्नलिखित अपेक्षा कर सकेंगे;

(क) सार्वजनिक लैंप के लिये प्रमुखतार और अन्य उपस्कर उपलब्ध कराना,

(ख) उस प्रयोजन के लिये अवलम्ब का उपयोग यदि कोई हो जिसे ऊर्जा के प्रदाय के लिये उसके द्वारा पूर्व में खड़ा किया गया हो या स्थापित किया गया हो,

22.3 अनुज्ञप्तिधारी खण्ड 22.1 ओर 22.2 के अनुसरण में संकर्मो को कार्यान्वित करने/प्रदाय को मुक्त करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियत और आयोग द्वारा अनुमोदित कोई प्राक्रय तथा साथ ही साथ अधिनियम ओर/या विनियमों के उपबंधों के अनुसार किन्हीं युक्तियुक्त प्रभारों को उद्ग्रहित कर सकेगा,

22.4 इस अनुज्ञप्ति के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति कारोबार के संचालन से संबंधित या आनुशंगिक आवश्यक गतिविधियों को करने का हकदार है, इसमें सूचना प्रोद्योगिकी आधारित हल जैसे रिमोट मीटरिंग आदि क्रियान्वित करने के लिये समुचित प्रसारण नेटवर्क को बिछाना सम्मिलित होगा,

22.5 अनुज्ञप्तिधारी वितरण प्रणाली के उपयोग के लिये एसी व्यवस्था करेगा जिसमें विद्युत लाइन, विद्युत संयत्र और अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) (ख) के खण्ड (एफ) मे यथा उपबंधित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सहबध उपस्कर सम्मिलित है। अनुज्ञप्तिधारी, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर वितरण प्रणाली के उपयोग के लिये उस व्यक्ति के साथ करार करेगा;

(क) उपयोगकर्ता द्वारा संदत्त किये जाने वाली प्रणाली प्रभार पर आधारित टैरिफ और उपयोग जो कि खण्ड 25 के अनुरूप हों;

(ख) उस व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई गई विद्युत को वितरण प्रणाली में स्वीकार करना

(ग) विद्युत के ह्रास के समायोजन हेतु विद्युत प्रदाय करना व टी.ओ.डी. ऊर्जा का वितरण प्रणाली से नियत निकासी बिन्दु तक प्रदाय करना एवं प्राप्त करना।

23. प्रदाय का दायित्व और विद्युत प्रदाय योजना मानक :–

23.1 अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करने के लिये ऐसे समस्त कदम उठाएगा कि अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली से जुड़े हुए समस्त उपभोक्ता खण्ड 21, वितरण कोड, वितरण मीटरिंग कोड, खण्ड 24 में निर्दिष्ट उपभोक्ताओं की शिकायत के प्रतितोष के लिये मार्गदर्शन में यथा उपबंधित विद्युत की सुरक्षित, मितव्ययी ओर विश्वसनीय प्रदाय प्राप्त करे सिवाय उसके जहाँ कि अनुज्ञप्तिधारी विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 56 के अधीन या खण्ड 24 के अनुसरण में बनाए गए प्रेक्टिस के कोड के अनुसार कतिपय उपभोक्ताओं को प्रदाय रोक देता है।

23.2 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 67 में वर्णित खुली सड़क, रेलवे आदि हेतु प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए।

23.3 अनुज्ञप्तिधारी –

(क) आगामी 10 वर्षो के प्रत्येक वर्ष में प्रदाय के क्षेत्र के भीतर ऊर्जा की वार्षिक मांग का पूर्वानुमान करेगा;

(ख) समय–समय पर आयोग द्वारा जारी किये गए मार्गदर्शन के अनुसार आयोग को ऐसे पूर्वानुसाम तैयार कर प्रस्तुत करेगा;

(ग) म.प्र. राज्य के लिए ऊर्जा मांग पूर्वानुमान की तैयारी में पारेषण अनुज्ञप्तियों, राज्य पारेषण इकाइयों और राज्य भार प्रेषण केन्द्र के साथ सहयोग करेगा।

23.4 अनुज्ञप्तिधारी पूर्वागामी पैरा के अध्यधीन रहते हुए आयोग की सहमति से जनरेटिंग कम्पनियों या व्यापारियों और अन्य से अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ताओं की मांग की पूर्ति के लिये समुचित विद्युत का क्रय करेगा या जहाँ जनरेटिंग कम्पनियों या व्यापारियों व अन्य के पास समुचित मात्रा में विद्युत उपलब्ध न हो तो कम मात्रा में विद्युत का क्रय करेगा।

23.5 अनुज्ञप्तिधारी खण्ड 5.4 में विनिर्दिष्ट रीति में विद्युत क्रय करेगा।

23.6 अनुज्ञप्तिधारी एस.टी.यू. द्वारा विहित रीति में जानकारी उपलब्ध कराएगा ।

24. उपभोक्ता सेवा :–

24.1 अनुज्ञप्तिधारी,

(एक) आयोग द्वारा निदेशित रीति में उपभोक्ता का ध्यान विभिन्नक कोड और विनियमों एवं उनके प्रत्येक पुनरीक्षण की ओर आकृष्ट करेगा जिसमे विद्युत प्रदाय कोड, उपभोक्ता शिकायत प्रतितोष के मार्गदर्शन, वितरण कोड सम्मिलित है। यह भी बतायेगा कि कोड के अंतिम पुनरीक्षण की प्रति निरीक्षण या प्राप्त करने हेतु कैसे प्राप्त होगी।

(दो) समय–समय पर पुनरीक्षित कोड की एक प्रति का निरीक्षण, सामान्य कार्य दिवस के दौरान जनता को करबाएगा।

(तीन) किसी व्यक्ति से उसके अनुरोध किये जाने पर सुसंगत समय ऐसे मूल्य पर कोड उपलब्ध करायेगा जो उसके द्विप्रतिलिपिकरण की युक्तियुक्त मूल्य से अधिक न हो।

(चार) अनुज्ञप्तिधारी, विद्यमान वाणिज्यिक प्रचलन और प्रक्रिया का अनुपालन जब तक कि इस खण्ड में उल्लिखित कोड आयोग के अनुमोदन से अंगीकृत न कर लिया जाए ऐसे उपांतरणों के साथ करेगा जैसा कि आयेग निदेश दे।

24.2 पालन के मानक, आयोग द्वारा तैयार किये जा सकेंगे या आयोग के अनुमोदन के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रखे जा सकेंगे या प्रस्तावित किए जा सकेंगे। आयेाग, अनुज्ञप्तिधारी के पालन के मानकों के साथ अनुपालन और विद्युत प्रदाय कोड, उपभोक्ता शिकायत के प्रतितोष के मार्गदर्शन ओर खण्ड 24 के अनुसार दर्शित उपभोक्त अधिकार कथन के पालन का मूल्यांकन करेगा और अनुज्ञप्तिधारी आयोग को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा, जैसी कि उसे आवश्यक हो।

24.3 आयोग इस अधिनियम के अधीन अन्य आवश्यकताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपभोक्ता के असंतोष और शिकायत का प्रकार विहित कर सकेगा जिस पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग द्वारा विहित समय के भीतर ध्यान दिया जाएगा और आयोग एक समुचित स्तर का प्रतिकर विहित करने के लिये हकदार होगा, जिसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को ऐसी शिकायत या असंतोष को समय पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ध्यान न देने की दशा में संदत्त किया जाएगा। आयोग, अनुज्ञप्तिधारी से संबंधित उपभोक्ता को प्रत्यक्षतः प्रतिकर रकम के संदाय ओर आयोग के पास उसका विवरण फाइल करने की अपेक्षा करेगा। आयोग, उपरोक्त को प्रभावी करने के लिए विनियम बना सकेगा और आदेश पारित कर सकेगा।

24.4 प्रदायों की सुरक्षा और रक्षा

(क) अनुज्ञप्तिधारी किसी मामले या घटना के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए और जानकारी, मार्गदर्शन, सलाह प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए एक सहायता केन्द्र स्थापित और प्रचालित करेगा ऐसी घटना या मामला जिसमें;

(एक) खतरा उत्पन्न होता हो या तुरंत ध्यान दिया जाना अपेक्षित हो या प्रदाय के क्षेत्र में विद्युत के प्रदाय या वितरण के संबंध में त्वरित ध्यान दिया जाना आवश्यक हो;

(दो) अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली की सुरक्षा उपलब्धता और गुणवत्ता को बनाए रखना प्रभावित होता हो या प्रभावित होना संभाव्य हो

(ख) उपरोक्त खण्ड(क) के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थापित सेवा;

(एक) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को बिना प्रभार के उपलब्ध कराई जाएगी;

(घ) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समस्त रिर्पोटों और जाँचों पर शीघ्र और दक्ष रीति में कार्यवाही की जाए चाहे वह टेलिफोन से, लिखित में या व्यक्तिगत रूप से की गई हो वर्ष के दौरान प्रतिदिन किसी भी समय पर टेलिफोन रिपोर्ट और जाँच प्राप्त करने और उस पर कार्यवाही करना उपलब्ध कराया जाएगा।

(ङ) टेलिफोन रिर्पोटों और जॉचों को प्राप्त करने हेतु वर्ष भर प्रतिदिन एवं प्रत्येक समय उपलब्ध रहेगा।

(च) अनुज्ञप्ति आदेश की इस शर्तो को जारी करने की तारीख से 6 माह तक यह प्रवर्तनीय रहेगा।

25. प्रदाय की अन्य शर्तें :–

25.1 केन्द्रीय अधिनियम, म.प्र. अधिनियम, विनियम, अनुज्ञप्ति के शर्तो तथा ऐसे अन्य आदेशों जिन्हें आयोग जारी करे के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए विद्युत के पारेषण, वितरण और प्रदाय जिसमें विद्युत के प्रदाय के मीटरिंग पाइन्ट के लिये कार्यवाही, राजस्व ऊगाही, विद्युत का असंयोजन, चोरी की मात्रा का निर्धारण, विभिन्न समितियों जैसे शोध्य निपटारा समिति, पुनर्विलोकन समिति और उपभोक्ताओं तथा अनुज्ञप्तिधारी के बीच वाद/समस्या का विनिश्चय या कर्मचारियों के नियोजन, चोरी के लिये अभियोजन या विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग के लिये गठित विभिन्न समितियों का गठन के संबंध में विधि का वैधानिक प्रभाव रखने वाले प्रदाय की सामान्य शर्त, प्रपत्र, आदेश, अधिसूचनाऐं और अनुदेश और विद्युत के पारेषण, उपपारेषण और वितरण को प्रभावित करने वाले समस्त ऐसे मामलों पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगे और अनुज्ञप्तिधारी को उनके अनुसार कार्यवाही करने की शक्ति होगी जब तक कि उन्हें नए विनियमों या कोड द्वारा उपातंरित न कर दिया जाए।

भाग : चार–संभावित राजस्व गणना और टैरिफ

26. संभावित राजस्व गणना और टैरिफ :–

26.1 अनुज्ञप्तिधारी संभावित राजस्वों की गणना उस प्रक्रिया का पालन करते हुए उन प्रभारों से करेगा जिसे वसूल करना केन्द्रीय अधिनियम के भाग–7 धारा 181(2)(जेड एफ) के अधीन विनियमों के साथ सहपठित म.प्र. विद्युत नियामक आयोग

(अनुज्ञप्तिधारी के लिये राजस्व आवश्यकता अवधारण और टैरिफ को निर्धारित करना) विनियम 2003, अनुज्ञप्ति की शर्तो, आयोग के आदेश और समय–समय पर आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं द्वारा उसे अनुज्ञात किया जाए।

27. राजस्व ऊगाही के लिये अनुज्ञप्तिधारी की शक्तियाँ, मीटर में अनधिकृत परिवर्तन का निषेधः–

27.1 अनुज्ञप्तिधारी, ऊर्जा के अप्राधिकृत उपयोग का निषेध करने या केन्द्रीय अधिनियम के भाग–6, भाग–12 और भाग–14 के संबंध मे ंराजस्व उगाही में सुधार करने के लिए समुचित कदम उठाएगा।

28. कतिपय उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी का सृजन :–

28.1 राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय अधिनियम की धारा 65 के संबंध में उपभोक्ता के किसी वर्ग या वर्गो को कोई सब्सिडी उपलब्ध कराने की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी यउसका अनुसरण केन्द्रीय अधिनियम के प्रावधानों के पालन के पश्चात ही कर सकेगा।

28.2 अनुज्ञप्तिधारी आयोग की पूर्व अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को या उसके अन्य कारोबार के प्रयोजन के लिये या तो टैरिफ की कम करके या अन्यथा रूप से किसी भी प्रभार की रियायत परिहार या कमी द्वारा कोई सब्सिडी या अनुदान नहीं देगा।

भाग : पाँच –स्पर्धा शर्ते

29. खुदरा प्रदाय में स्पर्धा की भूमिका :–

29.1 अनुज्ञप्तिधारी विनियम के अधीन यथा विनिर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति को उसकी वितरण प्रणाली में विभेद रहित खुली पहुंच की व्यवस्था करेगा। किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर, अनुज्ञप्तिधारी, उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन रहते हुए वितरण प्रणाली के उपयोग के लिये उस व्यक्ति के साथ निम्नलिखित के लिये करार करेगा ;

(क) उस व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई गई वितरण प्रणाली विद्युत को स्वीकार करने,

(ख) ऐसी विद्युत ऊर्जा को प्रदत्त करने जो तय की गई शर्तो के अनुसार निर्गम बिन्दु पर विद्युत की हानि के लिये समायोजित की गई हो,

( )ग प्रणाली प्रभार/व्हीलिंग प्रभार / और/या आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट सरचार्ज के उपयोग के लिये भुगतान प्राप्त करने

29.2 आयोग अधिनियम की धारा 14 के परन्तुक के अध्यधीन रहते हुए किसी भी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति के प्रदाय के उसी क्षेत्र में वितरण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा,

29.3 आयोग, अनुज्ञप्तिधारी और जनरेटिंग कम्पनियों के परामर्श से वितरण में खुली पहुंच की भूमिका के लिए व्यवस्था कर सकेगा और मध्यप्रदेश राज्य में एक बाजार (शक्ति का व्यापार सम्मिलित है) को प्रोन्नत कर सकेगा। इन विचार विमर्शो में नैसर्गिक न्याय, सेक्टर की वित्तीय जीवन क्षमता का पालन किया जाएगा और मामले मे प्रभावित पक्षकारों को उनका दृष्टिकोण रखने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

29.4 आयोग, लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए और अनुज्ञप्तिधारी को युक्तियुक्त अवसर उपलब्ध कराने के पश्चात् इस अनुज्ञप्ति की शर्तो को उपांतरित या संशोधित करने के समुचित आदेश जारी कर सकेगा जिन्हें कि वह इस खण्ड 29 में निर्दिष्ट ठहराव को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए समुचित समझे।

29.5 अनुज्ञप्तिधारी खण्ड 29 का अनुपालन करने के लिए प्रणाली और अन्य संसाधनों की व्यवस्था करेगा,

29.6 अनुज्ञप्तिधारी, किसी भी परिस्थिति में किसी ऐसे करार को नहीं करेगा या उसकी अधिपत्यपूर्ण स्थिति का दुरूपयोग नहीं करेगा या गठबंधन नही करेगा जिससे विद्युत उद्योग में प्रतिकर पर प्रतिकूल प्रभाव कारित होना सम्भाव्य हो।

29.7 यदि अनुज्ञप्तिधारी पूर्वानुमान करता है कि वह खण्ड 29 के अधीन दायित्वों की पूर्ति करने में असमर्थ होगा तो वह यथासम्य शीघ्र आयेाग को अधिसूचित करेगा और उकसे लिए पर्याप्त कारण होगा।

भाग : छ– शास्ति

29. अनुज्ञप्ति की शर्तो के उल्लंघन के लिए शास्ति :–

29.1 अनुज्ञप्तिधारी, इन शर्तो में दर्शाये निर्देशों का पालन नहीं करने पर केन्द्रीय अधिनियम की धारा 142 के अधीन और मध्यप्रदेश अधिनियम की धारा 31,45 और 46 तथा अन्य लागू योग्य उपबंधों और उसमें विनिर्दिष्ट किसी अन्य विनियमों के अधीन कार्रवाई का दायी होगा।

टीप :– "**वितरण अनुज्ञप्ति की शर्ते**" के हिन्दी रूपांतरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण(मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा ।

* * * * * * * * * * * *

अनुसूची–1

वितरण और खुदरा प्रदाय का क्षेत्र

(एक) मध्यप्रदेश राज्य में निम्नांकित वृत्त/जिले

(घ) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा केन्द्रीय अधिनियम की धारा 15(2)(ii) में वर्णित शर्तो का पालन करना होगा।

भोपाल

आयोग के आदेश द्वारा

सही/–

सचिव, म.प्र.विद्युत नियामक आयोग

प्रारूप–1

प्रस्तावित अनुज्ञप्तिधारी/समझे गए अनुज्ञप्तिधारी का संक्षिप्त नाम और विवरण

कम्पनी का नाम ——————————————————

रजिस्टर्ड पता ——————————————————

निगमन की तारीख ————————————————————

पंजीयन की तिथि ————————————————————

कारोबार प्रारंभ करने की तिथि ————————————————————

शेयर पूंजी ———————————— लाख रूपयों में

अभिदाताओं की संख्या ————————————————————

सी.एम.डी. का नाम ————————————————————

समस्त संचालकों के नाम

1.

2.

3.

4.

सचिव का नाम

प्रस्तावित कृत्य	कृपया निशान लगाए	अनुज्ञप्ति के लिए किया गया आवेदन	कृपया निशान लगाए
वितरण	☐	वितरण अनुज्ञप्ति	☐
पारेषण	☐	वाणिज्य अनुज्ञप्ति	☐
व्यापार	☐	पारेषण अनुज्ञप्तिध	☐
कोई अन्य(कृपया वर्णन करें)			

प्रस्तावित संगठनात्मक

संरचना (संचालक के रूप में लगाएं)

प्रारूप–2

प्रस्तावित क्षेत्र का विवरण

क्र.	पैरामीटर(परिमापक)	इकाई	डाटा	स्त्रोत
	क्षेत्र	वर्ग कि.मी.		
	कुल खेतीहर क्षेत्र	वर्ग कि.मी.		

	कुल सिंचाई क्षेत्र	वर्ग कि.मी.		
	वन क्षेत्र	वर्ग कि.मी.		
	जनसंख्या	नहीं		
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की संख्या	नहीं		
	गरीबी रेखा के नीचे की कुल जनसंख्या	नहीं		
	गरीबी रेखा के नीचे की अ.ज./अ.ज.जा जनसंख्या	नहीं		
	परिवारों की कुल संख्या			
	ग्रामीण परिवारों की कुल संख्या	नहीं		
	नगरीय परिवारों की संख्या			
	विद्युतीकृत परिवारों की संख्या			
	विद्युतीकृत ग्रामीण परिवारों की संख्या			
	विद्युतीकृत परिवारों का प्रतिशत			
	जिलों की संख्या			
	संभागों की संख्या			
	तहसीलों की संख्या			
	गांवों की संख्या			
	विद्युतिकृत ग्रामों की संख्या			

प्रारूप–3

वितरण अनुज्ञप्तिधारी(समझा गया अनुज्ञप्तिधारी सम्मिलित है) द्वारा विद्युत और भुगतान प्राप्त करने का तरीका।

वाउन्डरी पॉइट्स की स्थिति (जैसे सबस्टेशन का नाम)	उत्पादन कं.	पारेषण कं.	वितरण कं.	वोल्टेज स्तर	मीटर का वर्णन–प्रकार/ शुद्धता का वर्ग, सी.टी./ पी.टी. का वर्णन

1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

क्र.	कहाँ से विद्युत उपापन की गई (एजेंसी का नाम	प्रस्तावित वाणिज्यिक इंतजाम(कृपया निशान लगायें)	
		विद्युत क्रय अनुबंध	थोक प्रदाय अनुबंध
1			
2			
3			
4			
5			
6			

वाणिज्यिक व्यवस्था प्ररूप संलग्न करें :–

क्र.	भुगतान का ढंग	कृपया निशान लगाएं
1	साख पत्र	
2	इसक्रो लेखा	
3	मासिक मांग ड्राफ्ट / चेक	
4	कोई अन्य	

प्रारूप–4

वितरक अनुज्ञप्तिधारक के बारे में जानकारी(इसमें मांगा गया अनुज्ञप्तिधारक सम्मिलित है)

अनु.	पैरामीटर(परिमापक)	यूनिट	दिनांक
	क्षेत्रों की संख्या	संख्या	
	वृतों की संख्या	संख्या	
	संभागों की संख्या	संख्या	

	उप संभागों की संख्या	संख्या	
	वितरण केन्द्रों की संख्या	संख्या	
	फ्यूज ऑफ काल केन्द्रों की संख्या	संख्या	
	33 के.व्ही. लाईन की लम्बाई	सी.केक.एम.	
	11 के.व्ही. लाईन की लम्बाइ	सी.के.एम.	
	एल.टी. लाईन की लम्बाई	सी.के.एम.	
	ईएचटी उपकेन्द्रों से 33 के.व्ही. ओरीजिनेटिंग फीडर्स की कुल संख्या	संख्या	
	33 के.व्ही./11 के.व्ही. एस/ एसे से 11 के.व्ही. ओरीजिनेटिंग फीडर्स की कुल संख्या	संख्या	
	11/0.4 केव्हीएस/ एस से एलटी ओरीजिनेटिंग फीडर्स की कुल संख्या	संख्या	
	33 केव्ही फीडर्स(मीटरीकृत) की कुल संख्या	संख्या	
	11 केव्ही फीडर्स(मीटरीकृत) की कुल संख्या	संख्या	
	एल.टी. फीडर्स(मीटरीकृत) की कुल संख्या	संख्या	
	रेटिंग के साथ ट्रांसफार्मर की कुल संख्या		
	रेटिंग	संख्या	के.व्ही.अनुपात
	750 के.व्ही.ए.		
	500 के.व्ही.ए.		
	315 के.व्ही.ए.		
	300 के.व्ही.ए.		
	250 के.व्ही.ए.		
	200 के.व्ही.ए.		
	150 के.व्ही.ए.		
	100 के.व्ही.ए.		
	75 के.व्ही.ए.		
	63 के.व्ही.ए.		
	50 के.व्ही.ए.		
	25 के.व्ही.ए.		
		संख्या	
	पावर ट्रांसफार्मरों की कुल संख्या		

	वितरण ट्रांसफार्मरों की कुल संख्या		
	या तो प्राथमिक या द्वितीय साईड पर मीटरीकृत पावर ट्रांसफार्मस् की कुल संख्या		

प्रारूप–5

वितरक अनुज्ञप्तिधारक के बारे में जानकारी(इसमें सम्मिलित है माना गया अनुज्ञप्तिधारी)

श्रेणी		उपभोक्ता की संख्या	अनुबंधित / संबंध भार	तैयार ऊर्जा	चालू मीटर	खराब मीटर	बिना मीटर उपभोक्ता	दिनांक..... को बकाया
एल.टी.	संख्या	संख्या	के.डब्ल्यू.	एम.यू.	संख्या	संख्या	संख्या	रूपये लाख

घरेलू	संख्या							
एकल बिन्दु कनेक्शन	संख्या							
गैर घरेलू	संख्या							
जल कार्य	संख्या							
औद्योगिक	संख्या							
कृषिक	संख्या							
स्ट्रीट लाईट	संख्या							
कुल एल.टी.								
एच.टी.								
रेल्वे ट्रेक्शन	संख्या							
कोयला खदान	संख्या							
मिनी स्टील प्लांट्स	संख्या							
सीमेंट फैक्टरीज	संख्या							
एच.टी.जल कार्य	संख्या							
अन्य एच.टी. उपभोक्ता	संख्या							
आर.अढ. से सहकारी समिति	संख्या							
सीमावर्ती ग्राम	संख्या							
कुल एच.टी.								
महायोग								

प्रारूप–6

वाणिज्यिक/तकनीकी सूचना–पारेषण अनुज्ञप्ति(जिसमें समझे गए अनुज्ञप्तिधारी सम्मिलित हैं)

पैरामीटर	इकाई	डाटा

सर्किल की कुल संख्या	नहीं	
संभाग की कुल संख्या	नहीं	
ग्रिड सब–स्टेशन की कुल संख्या	नहीं	
रेटिंग के साथ ट्रांसफार्मरों की कुल संख्या		
40 एम.वी.ए.	नहीं	
20 एम.वी.ए.	नहीं	
	नहीं	
	नहीं	
एन	नहीं	
	नहीं	
कुल ट्रांसफोर्मेशन क्षमता	एम.वी.ए.	
फीडर्स की कुल संख्या		
400 के.वी.	नहीं	
220 के.वी.	नहीं	
132 के.वी.	नहीं	
66 के.वी.	नहीं	
फीडर्स की लम्बाई		
400 के.वी.	सी.के.एम.	
220 के.वी.	सी.के.एम.	
132 के.वी.	सी.के.एम.	
66 के.वी.	सी.के.एम.	
तकनीकी कर्मचारियों की कुल संख्या	नहीं	
गैर–तकनीकी कर्मचारियों की कुल संख्या	नहीं	
कर्मचारियों की कुल संख्या	नहीं	
प्राथमिक या माध्यमिक दोनों और से कोई एक		

मीटरीकृत वितरित ट्रांसफार्म से की कुल संख्या		
ट्रांसफार्मेशन की कुल क्षमता		
पावर ट्रांसफार्मर	एम.वी.ए	
वितरण ट्रांसफोर्मर	एम.वी.ए	
इनर्जी इनपुट	एम.यू.	
इनर्जी जिसका बिल बनाया गया	एम.यू.	
खोई हुई ऊर्जा	प्रतिशत	
राशि जिसका बिल बनाया गया	लाख रूपये	
जमा की गई राशि	लाख रूपये	
जमा किया गया प्रतिशत	प्रतिशत	
कुल बकाया(ऐरियर्स)	लाख रूपये	
बकाया 90 दिन से कम		
बकाया 180 दिन से अधिक		
दस लाख के ऊपर बकाया के साथ एच.टी. उपभोक्ताओं की संख्या	नहीं	
पचास हजार के ऊपर बकाया के साथ एल.टी. उपभोक्ताओं की संख्या	नहीं	
तकनीकी कर्मचारियों की कुल संख्या	नहीं	
गैर तकनीकी कर्मचारियों की कुल संख्या	नहीं	
कर्मचारियों की कुल संख्या	नहीं	
इलैक्ट्रीकल पम्प सेट्स की संख्या	नहीं	
केप्टिव पावर प्लांट(सीपीपी)	नहीं	
सीपीपी की क्षमता	एम.वी.ए.	

यूजर केप्टिव की अनुवंधित मांग के ऊपर सीपीपी की क्षमता		

प्ररूप–7

अंतर्राज्यीय वाणिज्यिक अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन का प्ररूप

<u>आवेदक का विवरण</u>

1. आवेदक का नाम : ————————————————————

2. पता : ————————————————————

3. सम्पर्क व्यक्ति का नाम : ————————————————————

   पदाभिधान और पता : ————————————————————

4. सम्पर्क टेलीफोन नंबर : ————————————————————

5. फेक्स नं. : ————————————————————

6. ई–मेल आई.डी. : ————————————————————

7. निगमन/रजिस्ट्रेशन का स्थान : ————————————————————

8. निगमन/रजिस्ट्रेशन का वर्ष : ————————————————————

9. निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न किया जाना है:–

   (क) रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र

   (ख) कारोबार प्रारंभ करने का प्रमण पत्र

   (ग) संस्था का ज्ञापन और

   (घ) आवेदक या उसके प्रमोटर को प्रेषित करने के लिए मुख्तारनामा

   (ङ) आमकर रजिस्ट्रेशन का विवरण

<u>आवेदक के वित्तीय आंकड़ो का वर्णन</u>

10. अव्यवहित पिछले 5 वित्तीय वर्षो के लिये शुद्ध मूल्य(भारतीय रूपयों के समतुल्य प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर प्रचलित विनियम की दर से परिवर्तन किया जाएगा।

(दिनांक/माह/वर्ष) से(दिनांक/माह/वर्ष)

	घरेलू मुद्रा में	उपयोग में लाई गई विनियम दर	भारतीय रूपयों के समतुल्य
(क) वर्ष 1( ) से ( )	———	———	———

(ख)	वर्ष 2( ) से ( )	————	——————	—————
(ग)	वर्ष 3( ) से ( )	————	——————	—————
(घ)	वर्ष 4( ) से ( )	————	——————	—————
(ङ)	वर्ष 5( ) से ( )	————	——————	—————

(च) वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियां या प्रमाणित संपरीक्षीत परिणाम को उपरोक्त के समर्थन में संलग्न किया जाएगा।

11. अव्यवहित पिछले 5 वित्तीय वर्षो के लिये कुल टर्न ओवर (भारतीय रूपयों के समतुल्य प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर प्रचलित विनियम की दर से परिवर्तन किया जाएगा।

(दिनांक/माह/वर्ष) से (दिनांक/माह/वर्ष)

		घरेलू मुद्रा में	उपयोग में लाई गई विनियम दर	भारतीय रूपयों के समतुल्य
(क)	वर्ष 1( ) से ( )	————	——————	—————
(ख)	वर्ष 2( ) से ( )	————	——————	—————
(ग)	वर्ष 3( ) से ( )	————	——————	—————
(घ)	वर्ष 4( ) से ( )	————	——————	—————
(ङ)	वर्ष 5( ) से ( )	————	——————	—————

(च) वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियां या प्रमाणित संपरीक्षीत परिणाम को उपरोक्त के समर्थन में संलग्न किया जाएगा।

12. अनुक्रमांक 10 और 11 के समर्थन में संलग्न दस्तावेजों की सूची

दस्तावेज का नाम

(क) ————————————————

(ख) ————————————————

(ग) ————————————————

(घ) ————————————————

13. (क) क्या आवेदक स्वयं प्रस्तावित वाणिज्यिक का वित्त पोषण करेगा — हाँ/नहीं

(ख) यदि हाँ तो आवेदक से प्रस्तावित इक्विटी

(एक) रकम

(बी) प्रतिशत

14. यदि आवेदक इक्विटी के लिए किसी अन्य एजेन्सी के साथ जुड़ना चाहता है तो ऐसी एजेन्सी का नाम और पता :–

(क) नाम, पदाभिधन और अन्य
एजेन्सी के संदर्भ व्यक्ति का पता

(ख) सम्पर्क टेलीफोन नं.

(ग) फेक्स नं.

(घ) ई–मेल, आई. डी.

(ङ) अन्य एजेन्सी से प्रस्तावित साम्या

(एक) रकम

(बी) कुल साम्या का प्रतिशत

(सी) वह मुद्रा जिसमें साम्या प्रस्तावित है

(च) अन्य एजेन्सी का सहमति पत्र जिससे आवेदक,
साम्या के लिए सहबद्ध होगा

(छ) आवेदक और अन्य एजेन्सी के बीच प्रस्तावित
सहयोग की प्रकृति

15. वाणिज्यिक गतिविधि के लिए प्रस्तावित ऋण का विवरण

(क) उधार देने वाले का विवरण

(ख) वह रकम जिसे भिन्न–भिन्न उधारकर्ताओं से लिया जाएगा

(ग) उपरोक्त के समर्थन में उधारकर्ताओं से पत्र संलग्न किया जाए

16. आवेदक की संगठनात्मक और प्रबंधकीय क्षमता

(प्रस्तावित संगठनात्मक संरचना और भिन्न–भिन्न कार्यपालिक, प्रस्तावित कार्यालय और संचार सुविधा आदि के प्ररूप में ''वाणिज्यिक अनुज्ञप्ति की ''शर्तो और निर्बन्धनों'' के संबंध में आवेदक को उसकी संगठनात्मक और प्रबंधकीय क्षमता के सबूत संलग्न करना होगा)

17. तरीका और पद्धति

(आवेदक को उसके द्वारा प्रस्तावित वाणिज्यिक व्यवस्था की स्थापना के लिए तरीके और पद्धति वर्णित करना होगी।

तारीख आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारूप–8

इनपुट तथा सप्लाई पाईन्ट्स–पारेषण अनुज्ञप्तिधारी(इसमें सम्मिलित है मांग अनुज्ञप्तिधारी)

इनपुट पाईन्ट्स

अनु.	सीमा पाईन्टों	**इन्टरफेस सहित कम्पनी का नाम**	मीटर के वितरण–टाईप/

	की स्थिति	उत्पादक कं.	वितरण कं.	अन्य राज्य	अन्य	वोल्टेज स्तर	सही मात्रा की श्रेणी, सीटी/पीटी का वितरण
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

सप्लाई पाईन्ट्स

अनु.	सीमा पाईन्टों की स्थिति	**इन्टरफेस सहित कम्पनी का नाम**					मीटर के वितरण–टाईप/सही मात्रा की श्रेणी, सीटी/पीटी का वितरण
		उत्पादक कं.	वितरण कं.	अन्य राज्य	अन्य	वोल्टेज स्तर	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							